

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE


(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित)
(Constituted Under I.M.C.C. Act, 1970)

वार्षिक प्रतिवेदन और परीक्षित लेखा
(1994-95)
Annual Report and Audited Accounts
(1994-95)




61-65 इस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी
नई दिल्ली - 110058
61-65 INSTITUTIONAL AREA, JANAK PURI
NEW DELHI - 110058


भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्



निबन्धक एवं सचिव



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्



भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली-110058

वर्ष 1994-95 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है। प्रथम परिषद् का गठन 1971 में किया गया था। भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II खंड-3 उपखंड ii दिनांक 7-5-84 में भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा द्वितीय केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन 1984 में किया गया था और उस ने 13-3-95 तक कार्य किया।

केन्द्रीय परिषद् के प्रमुख प्रयोजन निम्न हैं :

- (i) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
- (ii) भारतीय चिकित्सा की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता से संबंधित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
- (iii) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजीका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।
- (iv) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यास को विनियमित करना और भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यासियों के आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सहित विभिन्न विनियमों को जारी एवं लागू करती रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लगभग समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं। ये महाविद्यालय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर, जिनमें पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सम्मिलित हैं, का अनुसरण कर रहे हैं।

परिषद् की संरचना

पुनर्गठित द्वितीय केन्द्रीय परिषद् के 13-3-95 तक निम्न सदस्य थे :

आयुर्वेद

1. डॉ. डी. राधाकृष्ण मूर्ति
2. डॉ. पी.वी. शतकोपाचार्य
3. डॉ. सुकुमार भट्टाचारजी
4. डॉ. देवव्रत नारायण सिंह
5. डॉ. महेश्वर पांडे
6. डॉ. इन्द्रमोहन झा
7. डॉ. अलख नारायण सिंह
8. डॉ. जनार्दन एन. दवे
9. डॉ. दिनेश आर. पटेल
10. डॉ. कृष्ण चन्द्र शर्मा
11. डॉ. गुलशन राय शर्मा
12. कविराज भूपेन्द्रनाथ गुप्त
13. वैद्य गौरी शंकर द्विवेदी
14. वैद्य पंचैया होशमठ
15. डॉ. ए.सी. राहुल कुमार
16. डॉ. के. माधवन नायर
17. वैद्य पं. महेशदत्त शर्मा शास्त्री
18. डॉ. प्रसन्न कुमार जैन
19. वैद्य हरिकृष्ण एस. जोशी
20. डॉ. एस.आई. नागराल
21. डॉ. स्वप्नेश्वर पंडा
22. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
23. वैद्य उदयशंकर शर्मा
24. वैद्य गोकुलेन्द्र शर्मा
25. डॉ. व्ही. नारायण स्वामी
26. डॉ. रामप्रकाश गुप्ता
27. डॉ. हुकम चंद शर्मा
28. डॉ. प्रेमदत्त शर्मा
29. डॉ. आनंद राय
30. वैद्य के.के. पांडे
31. डॉ. कनक सिंह खीमा भाई झाला

33. डॉ. एल. छिक्काराजना
34. डॉ. एस.वी. सावदी
35. डॉ. सच्चिदानंद उपाध्याय
36. डॉ. ए.के. दुलानी
37. वैद्य राधाकृष्ण श्रीधर बारे
38. वैद्य शिवकुमार मिश्र
39. वैद्य जगन्नाथ मिश्र
40. डॉ. पी.के. देवनाथ
41. प्रो. आर.सी. चतुर्वेदी
42. वैद्य हरिनारायण स्वामी
43. प्रो. वी.जे. ठक्कर
44. आचार्य प्रियव्रत शर्मा
45. डॉ. एस.टी. गूजर
46. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
47. कविराज नानकचंद शर्मा
48. वैद्य के.एस. वारियर
49. डॉ. बी.ए. हीरमठ
50. डॉ. डी.एल. नारायण
51. डॉ. एस.पी. गुप्ता
52. वैद्य चंद्रशेखर गौड
53. वैद्य पं. शिवकरण शर्मा छांगगाणी
54. डॉ. पी.सी. भट्टाचार्य

सिद्ध

55. डॉ. जी. अन्ना स्वामी
56. डॉ. के. पलानीचामी

यूनानी

57. हकीम मो. अशरफ करीम
58. डॉ. मदन सरूप गुप्ता
59. हकीम मोहम्मद उमर
60. डॉ. धर्मचंद

61. डॉ. दीलतराम भराज
62. डॉ. बंसीलाल पंडित
63. डॉ. अब्दुरहमान
64. प्रो. हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह
65. हकीम अब्दुल मोबिन खान
66. हकीम वेदप्रकाश शर्मा
67. हकीम मो. इकबाल खान
68. डॉ. एम.टी. खान
69. हकीम मो. अहमद लारी
70. डॉ. सैयद शाजी हैदर
71. प्रो. हकीम मो. तैय्यब
72. हकीम अब्दुल हमीद
73. हकीम फैजाज अहमद
74. हकीम फैजाज आलम
75. डॉ. जे.डी. संदरवाले

पदाधिकारी

13-3-95 तक केन्द्रीय परिषद् के निम्न पदाधिकारी थे :

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. प्रो. हकीम सैय्यद खलीफथुल्लाह | —अध्यक्ष |
| 2. वैद्य पं. शिवकरण शर्मा छांगानी | —उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) |
| 3. हकीम मो. अहमद लारी | —उपाध्यक्ष (यूनानी) |
| 4. डॉ. एस.आई. नागराल | —सभापति, शिक्षा समिति (आयुर्वेद) |
| 5. प्रो. हकीम मो. तैय्यब | —सभापति, शिक्षा समिति (यूनानी) |
| 6. डॉ. प्रसन्न कुमार जैन | —सभापति, पंजीयन समिति |
| 7. वैद्य पं. महेशदत्त शर्मा शास्त्री | —सभापति, विनियम समिति |

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के असाधारण राजपत्र भाग-II खंड-3 उपखंड (iii) दिनांक 5-1-95, 25-1-95, 9-2-95, 17-2-95 एवं 1-3-95 में प्रकाशित अधिसूचना के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का पुनर्गठन किया।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9 के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य समितियाँ हैं :

1. आयुर्वेद समिति
2. सिद्ध समिति
3. यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियाँ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित और खंड (ग) के अधीन मनोनीत आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त हैं।

धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के उपाध्यक्ष क्रमशः ऊपर संदर्भित समितियों के सभापति हैं।

प्रत्येक समिति सामान्य अथवा विशिष्ट निर्देशों, जो समय-समय पर केन्द्रीय परिषद् देती है, के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति जैसा भी प्रकरण हो से संबंधित किसी भी विषय को केन्द्रीय परिषद् की सक्षमता में करने के लिए समर्थ है।

पुनर्गठित केन्द्रीय परिषद् के निम्न सदस्य हैं :

आयुर्वेद

1. डॉ. मेरी वमन रेड्डी
2. डॉ. सिवानंदम
3. डॉ. देवव्रत नारायण सिंह
4. डॉ. महेश्वर पांडे
5. डॉ. इंद्रमोहन झा
6. डॉ. अलखनारायण सिंह
7. डॉ. ओमप्रकाश वशिष्ठ
8. डॉ. पटेल अरविन्द केशवलाल
9. डॉ. भूपतानी रमेशचन्द्र अमृतलाल
10. डॉ. पवन कुमार वशिष्ठ
11. डॉ. देवनायण शर्मा
12. डॉ. रुद्रमणि शर्मा
13. डॉ. ज्ञानचंद
14. डॉ. जयप्रकाश नारायण
15. डॉ. एस.वी. सावदी
16. डॉ. राजगोपालन के.
17. डॉ. डी. रामनाथन
18. डॉ. रणवीर सिंह परिहार
19. डॉ. प्रमोद कुमार जैन
20. डॉ. राजेश शुक्ल
21. डॉ. सतीशदत्त गर्ग
22. डॉ. ज्ञान कुमार आहूजा
23. वैद्य शाह किशन विठ्ठल दास
24. वैद्य रमेश कृष्ण यादव
25. डॉ. एन.वी. सलगरकर
26. डॉ. घनश्याम मिश्र
27. वैद्य जगजीत सिंह
28. डॉ. मुकेश वालिया
29. वैद्य वेद प्रकाश त्यागी
30. वैद्य महेन्द्र कुमार शर्मा
31. वैद्य रघुनंदन शर्मा
32. डॉ. पी. नारायणन
33. डॉ. हुकम चंद शर्मा
34. डॉ. प्रेमदत्त शर्मा
35. डॉ. स्वप्न कुमार भूनिया
36. प्रो. टी. श्रीनिवास राव
37. डॉ. रमेश चंद्र भट्टाचार्य
38. डॉ. श्रीकांत पांडे
39. वैद्य के.के. पांडे
40. वैद्य के.के. झाला
41. डॉ. शामलाल वशिष्ठ शास्त्री
42. डॉ. सुखदेव राज वत्स
43. डॉ. एस.सी. हूगर
44. डॉ. के.आर. रामचंद्रन
45. डॉ. बी.जी. गोपीनाथ
46. डॉ. संगप्पा एस. होसमणि
47. डॉ. लक्ष्मी नरसिम्हा शास्त्री
48. डॉ. पी.के. वारियर
49. डॉ. जी. विनोद कुमार
50. डॉ. दिनेश्वर शर्मा
51. डॉ. आनंद स्वरूप उपाध्याय
52. डॉ. टी.एम. पवार
53. डॉ. आर.सी. सक्सेना
54. डॉ. आर.वी. सहगोरा
55. वैद्य सुहास नारायण परचुरे
56. वैद्य दीनानाथ आर. उपाध्याय

58. डॉ. कैलाश चन्द्र पाणि
59. प्रो. वेदप्रकाश शर्मा
60. डॉ. डी. अतिशयराज
61. डॉ. सर्वदेव उपाध्याय
62. डॉ. के.के. ठकराल
63. प्रो. (कुमारी) पी.वी. तिवारी
64. डॉ. लक्ष्मीनारायण मैती
65. डॉ. सुकुमार भट्टाचारजी
66. वैद्य आई. संजीवा राव
67. वैद्य सुरेन्द्र कुमार शर्मा
68. वैद्य शिवकुमार मिश्र
69. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
70. वैद्य जी.एल. चानना
71. प्रो. कुलवंत सिंह
72. वैद्य एस.सी. सांख्यधर
73. प्रो. आर. भरतराजन
74. वैद्य श्रीराम शर्मा
75. प्रो. वेदव्रत शर्मा
76. वैद्य एस.के. छांगाणी
77. डॉ. सी.एच.एस. शास्त्री
78. वैद्य हरिनारायण स्वामी
79. वैद्य बी. वैद्यनाथन
80. प्रो. ज्योतिर्मित्र आचार्य

यूनानी

81. डॉ. एस.एस. रावत
82. हकीम फारूक अहमद अब्दुल अज़ीज
83. डॉ. दौलतराम भराज
84. डॉ. धर्म चंद

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के चुनाव तथा केन्द्रीय परिषद् की कार्यकारिणी समिति एवं अन्य समितियों के गठन हेतु पुनर्गठित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की प्रथम बैठक 14 एवं 15 मार्च, 1995 को संपन्न हुई।

86. प्रो. हकीम सैय्यद शाजी हैदर
87. डॉ. मो. अख्तर मसूद सिद्दकी
88. प्रो. हकीम अब्दुल मोबिन खान
89. हकीम वेदप्रकाश शर्मा
90. हकीम सऊद अली खान
91. डॉ. के. शफीउल्लाह खान
92. डॉ. एम.टी. खान
93. हकीम सैय्यद फैज़ान अहमद
94. डॉ. ताहिरा बानु
95. हकीम मो. अशरफ करीम
96. प्रो. जमील अहमद
97. हकीम मो. अहमद लारी
98. डॉ. सैय्यद शहाबुल हक
99. प्रो. हकीम शेख मोहम्मद अरशद
100. हकीम सैय्यद इमामुद्दीन अहमद
101. डॉ. अबू बकर खान
102. डॉ. ई.एच. कुरैशी
103. डॉ. मदन सरूप गुप्ता
104. हकीम ए.जे. खान
105. हकीम (श्रीमती) अलिया अमान
106. डॉ. रामदित्ता शर्मा
107. हकीम सैफुद्दीन अली

सिद्ध

108. डॉ. स्टेनले जोन्स वी.
109. डॉ. व्ही. अरुणाचलम
110. डॉ. एस. गोपालाकृष्णन
111. डॉ. व्ही. सुब्रह्मण्यम
112. डॉ. एम.ए. कुमार

1. वैद्य श्रीराम शर्मा — अध्यक्ष
2. वैद्य पं. शिवकरण शर्मा छांगाणी — उपाध्यक्ष (आयुर्वेद)
3. डॉ. व्ही. सुब्रह्मण्यम — उपाध्यक्ष (सिद्ध)
4. प्रो. हकीम अब्दुल मोबिन खान — उपाध्यक्ष (यूनानी)
5. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा — सदस्य (कार्यकारिणी समिति)
6. डॉ. प्रमोद कुमार जैन — " " " "
7. डॉ. सिवानंदम — " " " "
8. वैद्य रघुनंदन शर्मा — " " " "
9. डॉ. एम.ए. कुमार — " " " "
10. डॉ. मदन सरूप गुप्ता — " " " "
11. प्रो. हकीम शेख मोहम्मद अरशद — " " " "

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढाँचे में केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धांतों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य) विनियम, 1976 की संख्या-5 के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। समिति में भारतीय चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तीनों पद्धतियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व है।

केन्द्रीय परिषद् ने विभिन्न कार्यों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन निम्न समितियों का भी गठन किया—

विनियम समिति

समय-समय पर यथा आवश्यक केन्द्रीय परिषद् के विभिन्न विनियमों को बनाने तथा उससे संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए परिषद् द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन विनियम समिति का गठन किया गया।

विनियम समिति के निम्न सदस्य हैं :

- सभापति 1. वैद्य आई. संजीवा राव
 उपसभापति 2. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी
 सदस्य 3. डॉ. बी.आर.सी. अमृतलाल
 " 4. डॉ. पी. नारायणन
 " 5. डॉ. राजेश शुक्ला
 " 6. डॉ. अलख नारायण सिंह

- " 7. डॉ. एस.सी. हूगर
 " 8. डॉ. ज्ञान कुमार आहूजा
 " 9. डॉ. ए.एस. उपाध्याय
 " 10. डॉ. हुकम चंद शर्मा
 " 11. डॉ. एस.के. भूनिया
 " 12. डॉ. यादव आर.के.
 " 13. डॉ. के.सी. पाधी
 " 14. डॉ. एस. गोपाल कृष्णन
 " 15. हकीम सैय्यद इमामुद्दीन अहमद
 " 16. हकीम के. शफीउल्लाह खान
 " 17. डॉ. बंसीलाल पंडित
 " 18. डॉ. दौलतराम भराज
 " 19. डॉ. एस.एस. रावत

पंजीयन समिति

परिषद् ने विभिन्न चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में उनका समावेश करने संबंधी मामलों को देखने तथा इस विषय में अनुशासक करने के लिए पंजीयन समिति का गठन किया। पंजीयन से संबंधित विषयों पर विचार करना भी इस समिति के अधिकार में है।

पंजीयन समिति के निम्न सदस्य हैं :

- सभापति 1. डॉ. जयप्रकाश नारायण
 उपसभापति 2. डॉ. ए.के. पटेल
 सदस्य 3. वैद्य पी.के. वशिष्ठ
 " 4. डॉ. देवनारायण शर्मा
 " 5. डॉ. सतीशदत्त गर्ग
 " 6. डॉ. डी. रामनाथन
 " 7. डॉ. बी.जी. गोपीनाथ
 " 8. डॉ. आर. भरतराजन
 " 9. डॉ. डी. अतिसयराज
 " 10. वैद्य रोहिदास शम्भु पाटिल
 " 11. डॉ. लक्ष्मी नरसिंह शास्त्री
 " 12. डॉ. ज्ञान कुमार आहूजा
 " 13. डॉ. एन.वी. सलगरकर
 " 14. डॉ. महेन्द्र कुमार शर्मा

- " 15. डॉ. प्रेमदत्त शर्मा
 " 16. डॉ. एम. वमन रेड्डी
 " 17. डॉ. धर्मचंद
 " 18. डॉ. आर.डी. शर्मा
 " 19. हकीम अख्तर मसूद सिद्दीकी
 " 20. डॉ. एम.टी. खान
 " 21. हकीम सऊद अली खान
 " 22. डॉ. स्टेनले जोन्स व्ही

वित्त समिति

परिषद् के वित्त संबंधी मामलों को देखने के लिए परिषद् ने वित्त समिति का गठन किया।

वित्त समिति के निम्न सदस्य हैं :

- सभापति 1. वैद्य जी.एल. चानना
 उपसभापति 2. हकीम अबू बकर खान
 सदस्य 3. डॉ. एम.ए. कुमार
 " 4. वैद्य के.के. पांडे
 " 5. डॉ. मुकेश वालिया
 " 6. वैद्य एस.सी. सांख्यधर
 " 7. डॉ. के.आर. रामचंद्रन
 " 8. डॉ. डी. रामनाथन
 " 9. डॉ. एस.एस. रावत
 " 10. हकीम शेख मोहम्मद अरशद

शिक्षा समिति (आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी)

शिक्षा समितियाँ (आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी) की शिक्षा से संबंधित समस्त कार्यों को करने में सक्षम हैं। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी शिक्षा समितियों के निम्न सदस्य हैं :

आयुर्वेद

- सभापति 1. वैद्य शिवकुमार मिश्र
 उपसभापति 2. डॉ. दिनेश्वर शर्मा
 सदस्य 3. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगणी (उपाध्यक्ष, आयुर्वेद)
 " 4. डॉ. आर.सी. सक्सेना
 " 5. प्रो. टी. श्रीनिवास राव

6. प्रो. (कुमारी) पी.वी. तिवारी
 7. वैद्य एस.के. शर्मा
 8. डॉ. के.के. ठकराल
 9. डॉ. शाह किशन विठ्ठलदास
 10. वैद्य जगजीत सिंह
 11. डॉ. घनश्याम मिश्र
 12. वैद्य हरिनारायण स्वामी
 13. डॉ. एल.एन. मैती
 14. वैद्य के.के. झाला
 15. डॉ. सी.एच.एस. शास्त्री
 16. प्रो. कुलवंत सिंह
 17. डॉ. रुद्रमणि शर्मा
 18. डॉ. संगप्पा एस. होशमणि
 19. डॉ. एस.वी. सावदी
 20. डॉ. ओ.पी. वशिष्ठ
 21. डॉ. सुखदेव राज वत्स
 22. डॉ. आर.सी. भट्टाचार्य
 23. डॉ. के. राजगोपालन
 24. वैद्य गौरीलाल चानना
 25. डॉ. हुकम चंद शर्मा
 26. प्रो. वेदप्रकाश शर्मा
 27. डॉ. डी. रामनाथन
 28. प्रो. ज्योतिर्मित्र आचार्य
 29. वैद्य ए.एस. उपाध्याय
 30. वैद्य सुहास नारायण परचुरे
 31. डॉ. रणवीर सिंह परिहार
 32. डॉ. आर.वी. सहगौर

सिद्ध

- सभापति 1. डॉ. व्ही. सुब्रह्मण्यम (उपाध्यक्ष, सिद्ध)
 उपसभापति 2. डॉ. वी. अरुणाचलम
 सदस्य 3. डॉ. एस. गोपालाकृष्णन
 4. डॉ. एम.ए. कुमार
 5. डॉ. स्टेनले जोन व्ही.

यूनानी

- सभापति 1. प्रो. हकीम जमील अहमद
 उपसभापति 2. प्रो. हकीम शहाबुलहक
 सदस्य 3. प्रो. हकीम मोबिन खान (उपाध्यक्ष, यूनानी)
 4. प्रो. हकीम सैय्यद शाजी हैदर
 5. प्रो. हकीम एस. इमामुद्दीन अहमद
 6. हकीम ए.जे. खान
 7. हकीम सऊद अली खान
 8. हकीम वेदप्रकाश शर्मा
 9. हकीम मोहम्मद अशरफ करीम
 10. प्रो. हकीम अबू बकर खान
 11. प्रो. हकीम शेख मो. अरशद
 12. हकीम (श्रीमती) अलिया अमान
 13. हकीम एम.ए. लारी
 14. हकीम बंसीलाल पंडित
 15. हकीम (श्रीमती) ताहिरा बानू
 16. डॉ. मदन सरूप गुप्ता
 17. हकीम एस. शफीउल्ला खान

वर्ष 1994-95 के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गई हैं :

- | | |
|-------------------------------------|------|
| 1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् | —एक |
| 2. कार्यकारिणी समिति | —तीन |
| 3. शिक्षा समिति (यूनानी) | —दो |

वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य अनुशंसाएँ थीं:

कार्यकारिणी समिति ने दिनांक 12-1-95 को सम्पन्न अपनी बैठक में भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी) एवं परिचर्या महाविद्यालयों/संस्थानों के संबंध में प्रवेश और शुल्क से संबंधित मार्ग-निर्देशों पर विमर्श किया और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित करने हेतु मार्ग-निर्देशों को अनुमोदित किया।

कार्यकारिणी समिति ने अंकित किया कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने पत्रांक 2002/यू.एस./आई.एस.एम./94 दिनांक 10-5-94 के द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालयों में प्रत्येक के गठन के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू करने और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, 1956 में होने वाले संशोधनों के अनुसार भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में संशोधनों तथा भारतीय

चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के आधार पर भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में कुछ संशोधन सुझाए हैं। यह भी अनुरोध किया गया था कि केन्द्रीय परिषद् इनको अद्यतन कर और उपयुक्त स्तर पर अनुमोदित करवाए तथा शीघ्र मंत्रालय को भेजे।

समिति ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में किए गए संशोधनों को देखा और हाशिए में दिए गए प्रस्तावित अनुभागों की संख्या 10ए, 10बी और 10सी धारा के बजाय 14(3), 14(4) और 14(5) में परिवर्तन करते हुए इसे अनुमोदित किया।

यह भी अंकित किया गया कि प्रस्तावित संशोधनों में संस्था द्वारा प्रदत्त उपाधि को अमान्य करने के अतिरिक्त दंड का और कोई प्रावधान नहीं है। अतः समिति ने सुझाव दिया कि प्रस्तावित संशोधनों में धारा 14(6) को भी सम्मिलित किया जाए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित करने हेतु प्रस्तावित संशोधनों को अनुमोदित किया।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 2(1) (ङ) के अनुसार केन्द्रीय परिषद् के द्वारा यथा अनुमोदित आधुनिक प्रगतियों की परिभाषा निम्नवत् है :

भारतीय चिकित्सा पद्धति के संस्थागत अर्हताधारी चिकित्साभ्यासी, जिनकी अर्हताएँ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित हैं, को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 17(3) (ख) के अधीन यथा अपेक्षित किसी भी चिकित्सा पद्धति में अभ्यास करने के अधिकार सहित समस्त विशेषाधिकार होंगे।

कार्यकारिणी समिति ने अंकित किया कि लोकसभा के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित मानव अंगों का प्रतिरोपण बिल, 1992 (एल-IX 1992) के अनुसार धारा 2(ढ) पंजीकृत चिकित्साभ्यासी परिभाषित किया गया है, यथा पंजीकृत चिकित्साभ्यासी का अभिप्राय एक चिकित्साभ्यासी से है जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 की धारा 2(ज) में परिभाषित कोई मान्यता प्राप्त अर्हता के धारक हों और जो उस धारा के अनुबंध (झ) में यथा परिभाषित राज्य चिकित्सा रजिस्टर में नामावलिगत हों।

कार्यकारिणी समिति अनुभव करती है कि यह भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुसूची में सम्मिलित अर्हताओं के धारक भारतीय चिकित्सा पद्धति के पंजीकृत चिकित्साभ्यासियों के विरुद्ध स्पष्टतः भेदभाव है।

यह निर्णय लिया गया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को यह बतलाते हुए एक पत्र लिखा जाय कि मानव अंगों का प्रत्यारोपण बिल 1992 (1992 का 59) की धारा 2(ढ) में दी गई पंजीकृत चिकित्साभ्यासी की परिभाषा को विस्तृत किया जाय और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ अनुसूचियों में सम्मिलित अर्हताओं को मानव अंगों का प्रत्यारोपण बिल, 1992 (1992 का 59) की धारा 2(ढ) की पंजीकृत चिकित्साभ्यासियों की परिभाषा में सम्मिलित किया जाय।

आयुर्वेद

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्रांक वी. 26017/5/90-ए.ई. दिनांक 15-7-94 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 के अधीन आयुर्वेद के भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (स्नातकोत्तर शिक्षा) (संशोधन) विनियम, 1994 पर भारत सरकार की स्वीकृति प्रदान की।

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के प्रथम व्यावसायिक पाठ्यक्रम में संस्कृत विषय को पढ़ाने के लिए संस्कृत, संहिता एवं सिद्धांत विभाग के अधीन प्रवक्ता के पद का प्रावधान किया था और संस्कृत शिक्षक के लिए न्यूनतम अर्हता भी निम्नवत् निर्णीत की थी—

मान्य विश्वविद्यालय की व्याकरण/साहित्य/दर्शन विषय में शास्त्री परीक्षा अथवा तत्सम कक्ष कोई अन्य परीक्षा सहित विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या भारतीय चिकित्सा के सांविधिक मंडल/संकाय/परीक्षा निकाय के द्वारा प्रदत्त आयुर्वेद में स्नातक उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन मान्य इसके समकक्ष कोई अन्य

अथवा

संस्कृत विषय के साथ एम.ए. अथवा मान्य विश्वविद्यालय की तत्समकक्ष योग्यता।

इस संबंध में यह भी निर्णय लिया गया कि यदि अभ्यर्थी संस्कृत विषय में स्नातकोत्तर उपाधि (एम.ए.) रखता हो परन्तु आयुर्वेद स्नातक योग्यता न रखता हो तो अभ्यर्थी को विभागीय संवर्ग में शामिल नहीं किया जा सकेगा।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 के अधीन उपर्युक्त प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को स्वीकृत हेतु भेजा गया।

केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक (संशोधन) विनियम, 1989 के अधीन विहित प्रवेशार्हता में माध्यमिक शिक्षा मंडल राजस्थान, अजमेर द्वारा संचालित वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा (विज्ञान विषय सहित) को सम्मिलित करने का निर्णय लिया।

उपर्युक्त प्रस्ताव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक) (संशोधन) विनियम, 1989 के क्रम संख्या 2(1) में निम्न पंक्ति के पश्चात् प्रविष्ट करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा-36 के अधीन केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रेषित किया गया।

अंग्रेजी सहित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की उत्तरमध्यमा।

अथवा

माध्यमिक शिक्षा मंडल, राजस्थान, अजमेर द्वारा संचालित विज्ञान विषय सहित वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा।

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद के छात्रों को आनुवांशिकी विभाग विषय का पूरा ज्ञान देने के लिए आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने और आयुर्वेद महाविद्यालयों में आनुवांशिकी विज्ञान विषय को पढ़ाने के लिए निम्न अर्हताधारी को नियुक्त करने का निर्णय लिया।

अनिवार्य अर्हता

आयुर्वेद महाविद्यालय एम.एस-सी. (जीव विज्ञान) में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव।

यह भी निर्णय लिया गया कि एम.एस-सी. (जीव विज्ञान) अर्हता धारक यदि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में सम्मिलित कोई अर्हता धारण नहीं करता है जैसा कि आयुर्वेद के विनियमों के अधीन विहित है तो वह संवर्ग के अधीन नहीं आएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानक (संशोधन) विनियम, 1989 में उपर्युक्त पैरा सम्मिलित करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा-36 के अधीन आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया।

परिदर्शन

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद की स्नातकीय शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों और अपेक्षाओं के प्रकाश में आयुर्वेद महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, सम्बलपुर में उपलब्ध न्यूनतम मानकों एवं आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात् वर्ष 1994-95 तक महाविद्यालय को आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति इस शर्त पर दी कि कमियों को दूर करने/पूरा करने के लिए संस्था प्रत्येक छह माह में की गई प्रगति की रिपोर्ट केन्द्रीय परिषद् को देगी।

केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं के अनुरूप आयुर्वेद की स्नातकीय शिक्षा प्रदान करने के लिए राजकीय तारानाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, बेल्लारी (कर्नाटक) में उपलब्ध न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के आकलन के पश्चात् सत्र 1995-96 से उपर्युक्त महाविद्यालय में तब तक तत्काल प्रवेश बंद करने का निर्णय लिया, जब तक आगे अनुमति नहीं दी जाती।

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद के स्नातकीय पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करने हेतु राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पपरोला में उपलब्ध न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के निर्धारण के पश्चात् राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पपरोला को आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति इस शर्त पर दी कि मार्च, 1995 तक कमियों को पूरा किया जाएगा और अनुपालन/प्रगति प्रतिवेदन भेजा जाएगा।

महाराष्ट्र आरोग्य मंडल के आयुर्वेद महाविद्यालय, हड़पसर, पुणे को मार्च, 1995 तक कमियों को पूरा करने तथा अनुपालन प्रतिवेदन भेजने की शर्त पर पाँच वर्ष तक पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी गई।

केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं के प्रकाश में आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करने हेतु येरला मेडीकल ट्रस्ट एवं शोध केन्द्र के आयुर्वेद महाविद्यालय, बम्बई में उपलब्ध न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात् उपर्युक्त महाविद्यालय को सत्र 1994-95 के लिए प्रवेश की अनुमति इस शर्त पर दी कि मार्च, 1995 तक कमियों को पूरा कर लिया जाएगा।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के अनुरूप हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय वडगाँव, कोल्हापुर में उपलब्ध न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के आकलन के

पश्चात् सत्र 1994-95 के लिए उपर्युक्त महाविद्यालय को प्रवेश की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि मार्च, 1995 तक कमियों को पूरा कर लिया जाएगा।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं के प्रकाश में यशवंत शिक्षा प्रसारक मंडल के यशवंत आयुर्वेद महाविद्यालय, कोडोली (महाराष्ट्र) में उपलब्ध न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं के परिदर्शन द्वारा आकलन के पश्चात् केन्द्रीय परिषद् ने उपर्युक्त महाविद्यालय को सत्र 1994-95 के लिए प्रवेश की अनुमति इस शर्त पर दी कि मार्च, 1995 तक कमियों को पूरा किया जाएगा।

गंगा एजुकेशन सोसाइटी के आयुर्वेद महाविद्यालय, कोल्हापुर को सत्र 1994-95 के लिए इस शर्त पर प्रवेश की अनुमति दे दी गई कि मार्च, 1995 तक कमियों को पूरा कर लिया जाएगा।

केन्द्रीय परिषद् ने धुले चैरिटेबल सोसायटी के आयुर्वेद महाविद्यालय, देवपुर, धुले में उपलब्ध शिक्षण और क्रियात्मक सुविधाओं पर विचार करने तथा न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात् केवल सत्र 1994-95 के लिए प्रवेश की अनुमति इस शर्त पर दी कि परिदर्शन के दौरान इंगित कमियों को मार्च, 1995 तक पूरा कर लिया जाएगा।

केन्द्रीय परिषद् ने चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, साकेगाँव, भुसावल में उपलब्ध शिक्षण और क्रियात्मक सुविधाओं पर विचार करने तथा न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात् सत्र 1994-95 के लिए प्रवेश की अनुमति इस शर्त पर दी कि परिदर्शन के दौरान इंगित कमियों को 1995 तक पूरा कर लिया जाएगा।

केन्द्रीय परिषद् द्वारा ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय, पातूर, जिला अकोला (महाराष्ट्र) को केवल सत्र 1994-95 के लिए प्रवेश की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि मार्च, 1995 तक कमियों को पूरा कर लिया जाएगा।

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद महाविद्यालय, शंकरनगर, पुसद (महाराष्ट्र) में उपलब्ध शिक्षण और क्रियात्मक सुविधाओं पर विचार करने तथा न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात् सत्र 1994-95 के लिए प्रवेश की अनुमति इस शर्त पर दी कि परिदर्शन के दौरान इंगित कमियों को मार्च, 1995 तक पूरा कर लिया जाएगा।

बैकवर्ड क्लास यूथ रिलीफ कमेटी के भाई साहेब मूलक आयुर्वेद महाविद्यालय, नंदनवन, नागपुर को सत्र 1994-95 के लिए प्रवेश की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि मार्च, 1995 तक कमियों को पूरा कर लिया जाएगा।

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद की स्नातकोत्तर शिक्षा के विनियमों के अधीन केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं के प्रकाश में गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय, अहमदनगर (महाराष्ट्र) में उपलब्ध न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात् निर्णय लिया कि उपर्युक्त महाविद्यालय को सत्र 1995-96 से आगे कायचिकित्सा और प्रसूतितंत्र में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जाय, जब तक प्रत्येक विभाग विशेषतः स्नातकोत्तर विभाग में शिक्षक वर्ग (प्राध्यापक एवं प्रवाचक) 30 जून, 1995 तक भर्ती नहीं किए जाते हैं।

वर्ष के दौरान आयुर्वेद की स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा से संबंधित विनियमों के अधीन केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित/निर्धारित न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं के अनुरूप स्नातकीय/स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं के आकलन करने के उद्देश्य से निम्न आयुर्वेद महाविद्यालयों/संस्थाओं का परिदर्शन किया गया :

महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/स्नातकोत्तर
गुलबर्गा विश्वविद्यालय		
1. शासकीय तारनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, अनन्तपुर मार्ग, बेल्लारी (कर्नाटक)	25 एवं 26 जुलाई, 1994	स्नातकीय
पुणे विश्वविद्यालय		
2. महाराष्ट्र आरोग्य मंडल का आयुर्वेद महाविद्यालय, हड्डपसर (महाराष्ट्र)	26-7-94	स्नातकीय
3. श्री गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय अहमदनगर (महाराष्ट्र)	15-11-95	स्नातकोत्तर
4. सिद्धकला आयुर्वेद महाविद्यालय, नेहरू चौक, संगमनेर (महाराष्ट्र)	16-11-94	स्नातकीय
5. संगम सेवा भावी ट्रस्ट का आयुर्वेद महाविद्यालय संगमनेर (महाराष्ट्र)	16-11-94	स्नातकीय
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला		
6. राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, पपरोला जिला कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)	26-11-94	स्नातकीय
उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगाँव		
7. चैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय, साकेगाँव भुसावल (महाराष्ट्र)	30-6-94	स्नातकीय
8. धुले चैरिटेबल सोसायटी का आयुर्वेद महाविद्यालय धुले (महाराष्ट्र)	1-7-94	स्नातकीय
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर		
9. यशवंत शिक्षण प्रसारक मंडल का आयुर्वेद महाविद्यालय, कोडोली, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	27-7-94	स्नातकीय
10. हनुमान शिक्षण प्रसारक मंडल का आयुर्वेद महाविद्यालय, पेट बडगाँव, कोल्हापुर	28-7-94	स्नातकीय
11. गंगा एजुकेशन सोसायटी का आयुर्वेद मेडीकल कालेज, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	27-7-94	स्नातकीय

बम्बई विश्वविद्यालय

12. येरला मेडीकल ट्रस्ट एवं रिसर्च सेंटर का आयुर्वेद महाविद्यालय, बम्बई (महाराष्ट्र)	29-7-94	स्नातकीय
अमरावती विश्वविद्यालय, अमरावती		
13. आयुर्वेद महाविद्यालय, शंकरनगर, पुसद जिला यवतमाल (महाराष्ट्र)	21-6-94	स्नातकीय
14. ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय, पातूर जिला अकोला (महाराष्ट्र)	22-6-94	स्नातकीय
नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर		
15. भाई साहेब मूलक आयुर्वेद महाविद्यालय,	20-6-94	स्नातकीय

सिद्ध

केन्द्रीय परिषद् ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की पूर्वानुमति से भारत के राजपत्र भाग-III अनुभाग-4 दिनांक 15-10-94 में सिरपु मारुथुवम और कुझनधई मारुथुवम विषयों में सिद्ध के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को अधिसूचित किया।

सिद्ध चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम का प्रस्ताव इस कार्यालय के पत्रांक 18-2/94-एस. दिनांक 12-12-81 के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 के अधीन यथा अपेक्षित स्वीकृति हेतु भेजा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्रांक वी. 26017/1/92-ए.ई. (पी.जी.) दिनांक 14-11-94 के द्वारा सूचित किया कि सिद्ध स्नातकोत्तर प्रशिक्षण की उपाधि/अर्हता में समान स्तर बनाए रखने के विचार से उचित होगा कि यदि एम.डी. (सिद्ध) पाठ्यक्रम दो विषयों में प्रारम्भ किया जाय :

1. तोलनोई (त्वचा के रोग)
2. कन्नोई (आँख)
3. काथू मूकु थोन्दई नोई (गला, नाक, कान)

एम.डी. के लिए अवधि तीन वर्ष है। यह अनुरोध किया गया था कि केन्द्रीय परिषद् प्रस्ताव पर पुनर्विचार करे।

यूनानी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित यूनानी तिब्ब में एक वर्ष के विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण राहित 4-1/2 वर्षीय कामिले-ए-तिब्ब-ओ-जराहत उपाधि पाठ्यक्रम (प्रत्येक 1-1/2 वर्ष के पश्चात् कुल तीन व्यावसायिक परीक्षाएँ) का प्रस्ताव भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 36 के अधीन यथा अपेक्षित स्वीकृति हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया।

केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं के अनुरूप यूनानी तिब्ब में स्नातकीय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु ताज तिब्बिया महाविद्यालय एवं रशीदिया अस्पताल, नागपुर में उपलब्ध न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात् दो वर्षों अर्थात् 1994-95 तथा 1995-96 के लिए ताज तिब्बिया महाविद्यालय एवं रशीदिया अस्पताल को कामिले-ए-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी। प्रबंध समिति को निर्देश दिया गया कि परिदर्शन प्रतिवेदन में निर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जाय और कमियों को दूर किया जाय।

केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् के द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के अनुरूप तिब्बिया महाविद्यालय एवं अस्पताल, नागपाड़ा, बम्बई में उपलब्ध न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं का आकलन करने के पश्चात् यूनानी तिब्ब में कामिले-ए-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए तिब्बिया महाविद्यालय एवं अस्पताल, बम्बई को दो वर्षों के लिए कामिले-तिब्बो-जराहत पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति इस शर्त के साथ दी कि परिदर्शन प्रतिवेदन में इंगित कमियों को दो वर्षों में पूरा कर लिया जाय।

नवीन महाविद्यालयों को अनुमति

केन्द्रीय परिषद् ने केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित यूनानी तिब्ब में स्नातकीय शिक्षा प्रदान करने हेतु न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के अनुरूप निम्न नवीन संस्थाओं/यूनानी महाविद्यालयों को न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात् यूनानी तिब्ब में स्नातकीय पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति इस शर्त पर दी कि इंगित कमियों को दो वर्षों में पूरा कर लिया जाय :

1. यूनानी तिब्बिया कालेज एवं अस्पताल, श्रीनगर (जम्मू एवं काश्मीर)

यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के अनुरूप यूनानी तिब्ब में स्नातकीय शिक्षा प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं का आकलन करने हेतु वर्ष के दौरान निम्न यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया :

महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/स्नातकोत्तर
1. यूनानी तिब्बिया कालेज एवं अस्पताल, श्रीनगर	3-9-94	स्नातकीय
2. तम्र तिब्बिया कालेज एवं रशीदिया अस्पताल नागपुर	17-12-94	स्नातकीय
3. बम्बई विश्वविद्यालय तिब्बिया कालेज एवं अस्पताल, नागपाड़ा, बम्बई	17-9-94	स्नातकीय
4. बिहार विश्वविद्यालय जुल्फकार हैदर यूनानी मेडीकल कालेज एवं अस्पताल, सीवान	23-9-94	स्नातकीय

5. सागर विश्वविद्यालय, सागर सलिफिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कालेज, बुरहानपुर (म.प्र.)	8-10-94	स्नातकीय
6. कानपुर विश्वविद्यालय, कानपुर नेशनल यूनानी मेडीकल कालेज, सहारनपुर (उ.प्र.)	31-12-94	स्नातकीय
7. अल्मा इकबाल यूनानी मेडीकल कालेज, मुजफरनगर (उ.प्र.)	21-11-94	स्नातकीय
8. डॉ. एम.जी.आर. विश्वविद्यालय, मद्रास शासकीय यूनानी मेडीकल कालेज, मद्रास	28 एवं 29-12-94	स्नातकीय
9. बंगलौर विश्वविद्यालय, बंगलौर शासकीय यूनानी मेडीकल कालेज, बंगलौर	26 एवं 27-12-94	स्नातकीय

चिकित्सीय अर्हता की मान्यता

विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा प्रदत्त भारतीय चिकित्सा पद्धति की निम्न चिकित्सीय अर्हताओं को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची के भाग-I और II में समाविष्ट करने हेतु केन्द्रीय परिषद् द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को संस्तुत किया गया :

भाग-I

विश्वविद्यालय/प्रदाय निकाय का नाम	उपाधि की नामावलि	मान्यता वर्ष
1. पंजाब राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति संकाय, चंडीगढ़	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस. वर्ष 1992 तक
2. महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडीसिन एण्ड सर्जरी)	बी.ए.एम.एस. 1988 से आगे
3. बोर्ड ऑफ एग्जामिनर ऑफ इंडियन/इंडीजनस/इटीग्रेटेड/कमिश्नर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, मद्रास सरकार	लाइसेंसिएट इन इंडियन इंडीजनस/इटीग्रेटेड मेडीसिन ग्रेजुएट ऑफ कालेज ऑफ इंडियन/इंडीजनस/इटीग्रेटेड मेडीसिन	एल.आई.एम. 1924 से 1957
	जी.सी.आई.एम.	1947 से 1960 तक

1. जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	क़मिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (बैचलर ऑफ़ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी)	बी.यू.एम.एस. 1995 से आगे
2. बोर्ड ऑफ़ एग्जामिनेशन ऑफ़ इंडियन/ इंडीजीनस/इंटीग्रेटेड/कमिश्नर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, मद्रास सरकार	लाइसेंसिएट इन इंडियन/ इंडीजनस/इंटीग्रेटेड मेडीसिन प्रेजुएट ऑफ़ दी कालेज ऑफ़ इंडियन/इंडीजनस इंटीग्रेटेड मेडीसिन	एल.आई.एम. 1924 से 1957 जी.सी.आई.एम. 1947 से 1960 तक

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना और उसका रख-रखाव केन्द्रीय परिषद् के मुख्य कार्यों में एक है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 को धारा 23 के अनुसार केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका के रूप में जानी जाने हेतु विहित पद्धति में भारतीय चिकित्सा का एक रजिस्टर अनुरक्षित किए जाने हेतु कारण बनेगी, जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होंगे जो तत्समय किसी भी भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हों और जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में समाविष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं में से कोई भी रखते हों।

आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं काश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु एवं पश्चिम बंगाल का 1986 तक का केन्द्रीय रजिस्टर भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।

इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान निम्न राज्यों से संबंधित केन्द्रीय पंजिका भी उनके सम्मुख लिखी तिथियों तक भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुकी है :

1. पश्चिम बंगाल	जनवरी 1987 से मार्च 1991 तक
2. उत्तर प्रदेश	जनवरी 1988 से मार्च 1991 तक
3. गुजरात	जनवरी 1987 से मार्च 1991 तक
4. हिमाचल प्रदेश	जनवरी 1987 से मार्च 1991 तक
5. उड़ीसा	जनवरी 1987 से मार्च 1991 तक

निम्न राज्यों से संबंधित भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका भारत के राजपत्र में राजपत्र अधिसूचना के लिए भेजा जा चुका है :

1. हरियाणा	जनवरी 1987 से मार्च 1991 तक
2. कर्नाटक	जनवरी 1988 से मार्च 1991 तक

3. तमिलनाडु	जनवरी 1987 से मार्च 1991 तक
4. महाराष्ट्र	जनवरी 1987 से मार्च 1991 तक
5. दिल्ली	जनवरी 1987 से मार्च 1991 तक

उत्तर प्रदेश की परिषद् के प्रारंभ से वर्ष 1987 तक का पूरा राज्य रजिस्टर, निर्धारित प्रपत्र में बार-बार अनुरोध करने/अनुस्मारक भेजने पर भी प्राप्त नहीं हुआ है।

इसलिए उत्तर प्रदेश से संबंधित भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर तैयार नहीं किया जा सका, तथापि उत्तर प्रदेश का 1988 से 1991 तक का केन्द्रीय रजिस्टर भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।

प्रशासन एवं वित्त

केन्द्रीय परिषद् ने आयुर्वेद/यूनानी/सिद्ध चिकित्सा पद्धति के लिए निरीक्षकों के पदों के सृजन का प्रस्ताव उनके भर्ती नियमों सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया :

आयुर्वेद	—3
यूनानी	—1
सिद्ध	—1 (अंशकालिक)

केन्द्रीय परिषद् ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के कार्यालय हेतु सहायक निबंधक (विधि) वेतनमान रु. 2200-4000 के पद के सृजन का प्रस्ताव भर्ती नियमों सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया।

यह अंकित किया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् में निबंधक एवं सचिव का वेतनमान रु. 3000-5000 है जो केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् और केन्द्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद् के निदेशकों के वेतनमान से बहुत कम है जबकि निबंधक के कार्य एवं उत्तरदायित्व भी महत्वपूर्ण प्रकृति के हैं।

कार्यकारिणी समिति ने इस प्रकरण पर विमर्श किया और निबंधक एवं सचिव, भारतीय चिकित्सा का वेतनमान केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद् तथा केन्द्रीय यूनानी अनुसंधान परिषद् के निदेशकों के समान वेतनमान अर्थात् रु. 4500-5700 करने के प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की। यह निर्णय लिया गया कि इसे स्वीकृति हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा जाए।

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है, तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक सावधानी रखी जाती है कि विभिन्न संवर्गों के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया आरक्षण बनाए रखा जाय। केन्द्रीय परिषद् के 35 कार्यचारियों में से विभिन्न संवर्गों के लिए किया गया आरक्षण निम्नवत् है :

अनुसूचित जाति	—4
अनुसूचित जनजाति	—2
विकलांग	—2
भूतपूर्व सैनिक	—1

बजट के ससंधान

वर्ष 1994-95 के लिए केन्द्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित और सरकार के द्वारा जारी/स्वीकृत बजट प्राकलन और संशोधित प्राकलन निम्न हैं :

	गैर-योजना रुपया लाख में	योजना रुपया लाख में
1. बजट प्राकलन 1994-95 (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	54.72	20.00
2. बजट प्राकलन 1994-95 (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	21.00	02.00
3. संशोधित प्राकलन (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	31.04	20.00
4. संशोधित प्राकलन (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	21.00	02.00
5. मंत्रालय द्वारा जारी सहायता अनुदान	21.00	02.00

कार्यालय : महानिदेशक लेखापरीक्षा,
केन्द्रीय राजस्व,
नई दिल्ली-2

से. ओ. ए. डी. II/एस. ए. आर./भा. चि. के. परि./95-96/313

दिनांक 21/12/95

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली।

विषय : वर्ष 1994-95 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
नई दिल्ली पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं भारतीय चिकित्सा-केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियाँ, उस तिथि को दशति हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाय।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय,
(ह./-)

उप निदेशक लेखापरीक्षा
(निरीक्षण-I)

अनुलग्नक : यथोपरि

कार्यालय : महानिदेशक लेखापरीक्षा,
केन्द्रीय राजस्व,
नई दिल्ली-2

से. ओ. ए. डी. II/एस. ए. आर./भा. चि. के. परि./95-96/314

दिनांक 21/12/95

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र सहित श्री आर. के. जैन, सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, 61-65, इस्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी, नई दिल्ली-58 को उनके पत्र सं. 10-13/95-लेखा दिनांक 4.12.95 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वह तिथि जिसको शासी निकाय द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे पर विचार किया गया है, संबंधित दस्तावेजों सहित इस कार्यालय को सूचित किया जाए। प्रमाणित वार्षिक लेखे के हिन्दी रूपांतर की पाँच प्रतियाँ भी शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाए।

(ह./-)

उप निदेशक लेखा परीक्षा
(निरीक्षण-II)

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति एवं उसके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र सहित श्री सरोप सिंह, प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को मुख्यालय कार्यालय के पत्र सं. 179-रिपोर्ट (स्वा.नि.)/220-95 दिनांक 4-12-95 के संदर्भ में अग्रेषित की जाती है।

मुख्यालय की टिप्पणियों/अभियुक्तियों के उत्तरों से समाविष्ट विवरण संलग्न है।

यह नि.ले.प.के.रा.-1 के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(ह./-)

उप निदेशक लेखा परीक्षा

(निरीक्षण)

अनुलग्नक : यथोपरि

वर्ष 1994-95 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1. परिचय

भारतीय चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करने, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजीका का अनुरक्षण आदि और उससे संबंधित अन्य विषयों के प्रयोजन से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन वर्ष 1971 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (परिषद्) नई दिल्ली की स्थापना की गई थी।

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन बने परिषद् के विनियम, 1976 के अधीन नियम 86 के अनुसार यथा अपेक्षित परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के अधीन की जाती है।

परिषद् को वित्त की पूर्ति मुख्यतः भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से होती है। परिषद् को वर्ष 1994-95 के दौरान 23.00 लाख रुपए (गैर योजना के अधीन 21.00 लाख रुपए और योजना के अधीन 2.00 लाख रुपए) की अनुदान राशि प्राप्त हुई है।

2. बैंक समायोजन

भारत सरकार प्राप्ति और अदायगी नियम, 1983 के नियम 13.5 के अनुसार प्रत्येक माह/वर्ष की समाप्ति पर बैंक विवरणिका का समायोजन बैंक विवरणिका एवं कैश बुक शेष के मध्य अंतर के कारण/परिणाम को प्राप्त करने के लिए आहरण और संवितरण अधिकारी के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। समायोजन में किसी प्रकार के विलम्ब का परिणाम प्रबंधक के अनुत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार, धोखाधड़ी और दुरुपयोग में हो सकता है। तथापि, यह देखा गया कि परिषद् में वर्ष 1994-95 के दौरान बैंक समायोजन नहीं किया। ऐसे समायोजन के अभाव में लेखाओं में दर्शित बैंक में नकद की सत्यता सत्यापित नहीं की जा सकी। परिषद् ने बतलाया (दिसम्बर, 1995) कि बैंक समायोजन कर लिया गया है।

(ह./-)

महानिदेशक, लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 21/12/95

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के अदायगी एवं भुगतान का लेखा/आय एवं व्यय लेखा और 31 मार्च, 1995 को यथा तुलन-पत्र की जाँच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभियुक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा परिषद् की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखा और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और परिषद् के कार्य-कलापों का सही उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

(ह./-)

महा निदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

तिथि :

भारतीय चिकित्सा
31 मार्च 1995 को समाप्त हुए

प्राप्तियां	गैर योजना		योजना
	राशि	राशि	राशि
1-4-94 को आद्य शेष			
हस्तगत रोकड़	5,981		
बैंक के चालू खाते में नकद	1,31,462		
बैंक के बचत खाते में नकद	19,858	1,57,301	-
वर्ष 1994-95 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त सहायक अनुदान		21,00,000	2,00,000
अग्रिमों की वसूली			
पर्व अग्रिम	14,700		
स्कूटर अग्रिम	3,920	18,620	---
विविध प्रेषण			
सामान्य भविष्य निधि	3,56,251		
आयकर	20,890	3,77,141	
सहायक अनुदान के अतिरिक्त आय			
अवकाश वेतन अंशदान	1,625		
पेंशन अंशदान	1,780		
के० स० स्वा० योजना का अंशदान	2,162		
कर्मचारियों से अग्रिम पर व्याज	1,594		15,200
चिकित्सा वसूली	16,513	23,674	
मान्यता शुल्क			
वर्ष 1994-95 के दौरान प्राप्त शुल्क			
1992-93	98,000	7,50,000	
1993-94	2,50,000		
1994-95	3,69,000		
अधिक	33,000		
जमा और बचत खाते पर अर्जित व्याज	28,792	7,78,792	
अल्पावधि जमा परिपक्वता में शुल्क का विनियोजन		6,50,000	-----
अग्रणीत शेष		41,05,528	2,15,200

केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली
वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

अदायगी	गैर योजना		योजना
	राशि	राशि	राशि
1. वेतन एवं भत्ते			
अधिकारियों का वेतन	54,625		
कर्मचारियों का वेतन	5,18,196		
स्नातकोत्तर भत्ता	2,400		
चिकित्साभ्यास बंदी भत्ता	25,800		
मंहगाई भत्ता	6,47,829		
गृहभाटक भत्ता	1,30,006		
नगर प्रतिकर भत्ता	22,090		
अन्तरिम सहायता	38,300		
मुलाई भत्ता	1,605		
वाहन प्रभार भत्ता	1,567		
बीनरा	23,909		
अवकाश वेतन अंशदान	1,054		
समय अतिकालिक भत्ता	125		
अध्ययन शुल्क प्रतिपूर्ति	3,940		
के० स० स्वा० योजना अंशदान	28,188		
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	6,300		
अध्यक्ष के निजी सचिव का वेतन	5,500		
अवकाश यात्रा रियायत	19,110	15,30,544	
2 आकस्मिक व्यय			
(क) आवर्ती व्यय			
लेखन सामग्री	33,084		
किराया	56,400		
डाक एवं तार	6,956		
पूरभाष	22,972		
विद्युत प्रभार	13,351		
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	1,353		
यूनीफार्म प्रभार	3,845		
लेखा परीक्षा शुल्क	13,815		
मुद्रण प्रभार	17,916		
विधि सम्बन्धी व्यय	1,410		
कार्यालय उपकरणों का रख-रखाव	20,006		
वाहन प्रभार	5,108		
	1,96,216	15,30,544	

पीछे से लाया गया शेष

41,05,528 2,15,200

विवरण	रु०	पैसे	कुल
1-4-94 को अन्त शेष			
1992-93	4250.12		
1993-94	131,882.81		
1994-95	19,008.2	1,57,301	
1995-96	25,300	21,00,000	
1996-97	858,71.8		
1997-98	800,00.1		
1998-99	32,000		
1999-00	1,40,00.00		
2000-01	3,338.1	18,430	
2001-02	781.1		
2002-03	3,50,000.00		
2003-04	2,300.1	3,77,141	
2004-05	82		
2005-06	1,000		
2006-07	1,00,000		
2007-08	60,000		
2008-09	1,00,000		
2009-10	1,00,000		
2010-11	1,00,000		
2011-12	1,00,000		
2012-13	1,00,000		
2013-14	1,00,000		
2014-15	1,00,000		
2015-16	1,00,000		
2016-17	1,00,000		
2017-18	1,00,000		
2018-19	1,00,000		
2019-20	1,00,000		
2020-21	1,00,000		
कुल	<u>41,05,528</u>	<u>2,15,200</u>	

पीछे से लाया गया शेष	1,96,216	15,30,544	—
विविध प्रभार	96,549		
बैंक प्रभार	65		
प्रकाशन	—	2,92,830	1,66,747
अनावर्ती व्यय			
फर्नीचर और उपस्कर	25,586		
कार्यालय उपकरण	1,331		
वातानुकूलित उपकरण	<u>1,300</u>	28,217	—
3. यात्रा व्यय			
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	37,633		
सचिव/कर्मचारी	31,572		
कार्यकारिणी समिति के सदस्य	1,13,000		
शिक्षा समिति (यूनानी) के सदस्य	56,678		
परिदर्शन समिति के सदस्य	1,32,360		
परिषद के सदस्य	<u>3,65,732</u>	7,36,975	—
4. कर्मचारियों को अग्रिम			
पूर्व अग्रिम		13,200	—
5. विविध प्रेषण			
सामान्य भविष्य निधि	3,56,251		
आयकर	<u>20,890</u>	3,77,141	—
6. पेंशन निधि में अंशदान			1,05,072
7. सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज			46,624
8. अल्पावधि जमा योजना में शुल्क विनियोजन			6,00,000
9. 31-3-95 को अन्त शेष			
हस्तगत रोकड़	10,002		
बैंक के चालू खाते में नकद	1,85,362		48,453
बैंक बचत खाते में शेष	<u>1,79,561</u>	3,74,925	
कुल		<u>41,05,528</u>	<u>2,15,200</u>

भारतीय चिकित्सा
31 मार्च 1995 को समाप्त हुए

व्यय	गैर योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
1. वेतन एवं भत्ते				
अधिकारियों का वेतन	54,625			
कर्मचारियों का वेतन	5,18,196			
चिकित्साभ्यास बंदी भत्ता	25,800			
स्नातकोत्तर भत्ता	2,400			
मंहगाई भत्ता	6,47,829			
गृहभाटक भत्ता	1,30,006			
नगर प्रतिकर भत्ता	22,090			
अन्तरिम सहायता	38,300			
धुलाई भत्ता	1,605			
वाहन भत्ता	1,567			
बोनस	23,909			
अवकाश वेतन अंशदान	1,054			
समय अतिकालिक भत्ता	125			
अध्ययन शुल्क प्रतिपूर्ति	3,940			
के०स०स्वा० योजना अंशदान	28,188			
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	6,300			
अध्यक्ष के निजी सचिव का वेतन	5,500			
अवकाश यात्रा रियायत	19,110	15,30,544		
2. आकस्मिक व्यय				
लेखन सामग्री	33,084			
किराया	56,400			
डाक एवं तार	6,956			
दूरभाष	22,972			
विद्युत प्रभार	13,351			
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	1,353			
यूनीफार्म प्रभार	3,845			
लेखा परीक्षा शुल्क	13,815			
मुद्रण व्यय	17,916			
विधि सम्बन्धी व्यय	1,410			
कार्यालय उपकरणों का रखरखाव	20,006			
वाहन प्रभार	5,108			
विविध व्यय	96,549			
बैंक प्रभार	65			
अग्रेनीत शेष		2,92,830		
		18,23,374		
				शून्य

केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली
वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा

आय	गैर योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
वर्ष 1994-95 के दौरान	21,00,00			2,000,-00
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय				
नई दिल्ली से प्राप्त सहायक अनुदान				
घटाएँ-पूजीगत अनुदान	28,217	20,71,783		
विविध प्राप्तियाँ				
अवकाश वेतन अंशदान	1,625			
पेशन अंशदान	1,780			
के०स०स्वा० योजना अंशदान	2,162			
अग्निशो पर ब्याज	1,594		15,200	
चिकित्सा वसूली	16,513			
जमा और बचत खाते के शुल्क पर ब्याज	28,792	52,466	—	15,200
वर्ष 1994-95 के लिए वसूल करने योग्य मान्यताएं शुल्क	9,37,000			
समायोजना के लिए शुल्क की राशि	29,000	9,66,000		
आय से व्यय की अधिकता				5,53,907
		30,90,249		7,69,107

पीछे से लाया गया शेष

18,23,374

शून्य

3. यात्रा व्यय

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	37,633
सचिव/कर्मचारी	31,572
कार्यकारिणी समिति के सदस्य	1,13,000
शिक्षा समिति (यूनानी) के सदस्य	56,678
परिदर्शन समिति के सदस्य	1,32,360
परिषद के सदस्य	3,65,732

7,36,975

4. पेंशन निधि में अशंदान

1,05,072

5. सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज

46,624

6. प्रकाशन

—

7. व्यय से आय की अधिकता

3,78,204

7,69,107

कुल

30,90,249

7,69,107

पीछे से लाया गया शेष

30,90,249

7,69,107

कुल

30,90,249

7,69,107

भारतीय चिकित्सा
31 मार्च 1995 को

दायित्व	गैर योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
सामान्य आरक्षित				
स्थापना के दिन प्राप्त				
परिसंपत्तियां				
गत तुलन-पत्र के अनुसार		20,080.15		शून्य
शासकीय अनुदान से प्राप्त				
परिसंपत्तियां				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	2,01,318.30		5,60,906.32	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>28,217.00</u>	<u>2,29,535.30</u>		<u>5,60,906.32</u>
उपकुल		2,49,615.45		5,60,906.32
व्यय से आय की अधिकता				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	12,84,489.00			
घटाएं 93-94 की अधिकता	<u>15,000.00</u>			
	12,69,489.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>3,78,204.00</u>	16,47,693.00		
प्रकाशन				
गत तुलन पत्र के अनुसार			13,76,660.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया			<u>6,02,360.00</u>	19,79,020.00
मान्यता शुल्क				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	45,000.00			
घटाएं-वर्ष के दौरान समायोजित	<u>29,000.00</u>			
	16,000.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>33,000.00</u>	<u>49,000.00</u>		

केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली
सधा तुलन - पत्र

परिसंपत्तियां	गैर योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
(क) अनावर्तक प्रकृति				
1. फर्नीचर एवं उपस्कर				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	73,541.65			42,687.76
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>25,586.00</u>	99,127.65		
2. सातानुकूलित उपकरण				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	22,340.73			26,789.80
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>1,300.00</u>	23,640.73		
3. कार्यालय उपकरण				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	94,941.16			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>1,331.00</u>	96,272.16		4,91,428.76
4. पुस्तकालय के लिए पुस्तकें				
गत तुलन पत्र के अनुसार			<u>30,574.91</u>	
उपकुल		2,49,615.45		5,60,906.32
(ख) आवर्ती प्रकृति				
1. बुरभाष				
गत तुलन-पत्र के अनुसार		9,228.00		19,960.00
2. पर्व अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	11,220.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	<u>13,200.00</u>			
	24,420.00			
घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसूली	<u>14,700.00</u>	9,720.00		
3. स्कूटर अग्रिम				
गत तुलन-पत्र के अनुसार	5,740.00			
घटाएं-वर्ष के दौरान की गई वसूली	<u>3,920.00</u>	1,820.00		
4. मान्यता शुल्क				
गत तुलन पत्र के अनुसार	6,96,000.00			
घटाएं 93-94 का अधिक	<u>15,000.00</u>			
	6,81,000.00			

भारतीय चिकित्सा
सामान्य भविष्य

31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्राप्तियां	राशि	राशि
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 1.4.94 को आद्य शेष		15,211.28
कर्मचारियों द्वारा अशंदान		1,87,551.00
कर्मचारियों से ऋण की वसूली		1,68,700.00
मासिक आय-पत्र की परिपक्वता पर अर्जित ब्याज		11,25,000.00
विनियोजन और बचत खाते से विशिष्ट जमायोजना खाते से	62,403.00	
1.1.94 से 31.3.94	5,115.00	
1.4.94 से 31.12.94	15,345.00	
केन्द्रीय परिषद से प्राप्त	46,624.00	1,29,487.00
कुल		<u>16,25,940.28</u>

केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली
निधि

प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

भुगतान	राशि	राशि
1. वसूली	2,59,500.00	
(क) ऋण वसूलने योग्य	45,000.00	3,04,500.00
(ख) अंशकालिक जिनकी वसूली न की जानी हो		12,50,000.00
(2) मासिक आय-पत्र अल्पावधि में विनियोजन		
(3) 31-3-95 को बचत खाते में अन्त शेष	43,707.00	
बैंक आफ इण्डिया में	27,742.28	71,449.28
स्टेट बैंक आफ इण्डिया में		
कुल		<u>16,25,949.28</u>

भारतीय चिकित्सा
पेंशन एवं


31 मार्च, 1995 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्राप्तियां	राशि
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 1-4-94 को आद्य शेष	36,312.70
वर्ष के दौरान अंशदान	1,05,072.00
बचत खाता मासिक आय-पत्र/दोहरा लाभ योजना पर बैंक से अर्जित ब्याज	32,303.60
मासिक आय-पत्र/दोहरी लाभ योजना की परिपक्वता	4,30,000.00
कुल	<u>6,03,688.30</u>


केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली
ग्रैज्युटी निधि
प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

भुगतान	राशि	राशि
		5,15,000.00
जमा योजना में विनियोजन		
श्री एस. के. सिंह को पेंशन	37,689.00	
बैंक प्रभार	<u>10.00</u>	37,699.00
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 31-3-95 की अंतिम शेष	5,290.30	
सौद बैंक आफ इंडिया में	<u>45,699.00</u>	<u>50,989.30</u>
कुल		<u>6,03,688.30</u>


CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE



REGISTRAR-CUM-SECRETARY



CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE



39. Vaidya Jagannath Mishra
40. Dr. PK Debnath
41. Prof. RC Chaturvedi
42. Vaidya Hari Narayan Swami
43. Prof. VJ Thakar
44. Acharya PV Sharma
45. Dr. ST Gujar
46. Vaidya Devendra K. Triguna
47. Kvj. Nanak Chand Sharma
48. Vaidya KS Varier
49. Dr. BA Hiremath
50. Dr. DL Narayana
51. Dr. SP Gupta
52. Vaidya Chandra Shekhar Gaur
53. Vaidya Pt. Shivkaran Sharma Chhangani
54. Dr. PC Bhattacharya

SIDDHA

55. Dr. G. Annaswamy
56. Dr. K. Palanichamy

UNANI

57. Hakim Mohd. Ashraf Karim
58. Dr. M.S. Gupta
59. Hakim Mohd. Umar
60. Dr. Dharam Chand
61. Dr. Daulat Ram Bharaj
62. Dr. Bansi Lal Pandit
63. Dr. Abdur Rehman
64. Prof. Hakim Syed Khaleefatullah
65. Hakim Abdul Mobin Khan
66. Hakim Ved Prakash Sharma
67. Hakim Iqbal Khan
68. Dr. MT Khan
69. Hakim Mohd. Ahmed Lari
70. Dr. Syed Shaji Hyder
71. Prof. Hakim Mohd. Taiyab
72. Hakim Abdul Hameed
73. Hakim Faizan Ahmed
74. Hakim Faiyaz Alam
75. Dr. JD Sanderwale

OFFICE BEARERS

The following were the office bearers of the Central Council upto 13.03.1995.

- | | |
|--|---|
| 1. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah | President |
| 2. Vaidya Pt. Shivkaran Sharma Chhangani | Vice-President (Ay.) |
| 3. Hakim MA Lari | Vice-President (Unani) |
| 4. Dr. SI Nagral | Chairman, Education Committee (Ayurved) |
| 5. Prof. Hakim M. Taiyab | Chairman, Education Committee (Unani) |
| 6. Dr. Prasanna Kumar Jain | Chairman, Registration Committee |
| 7. Vaidya Pt. Mahesh Dutt Sharma Shastri | Chairman, Regulation Committee. |

RECONSTITUTION OF CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

The Ministry of Health & Family Welfare vide their Gazette Notification published in the Gazette of India, Extraordinary Part-II, Section 3, Sub-Section (iii) dated 05.01.95, 25.01.95, 09.02.95, 17.02.95 and 01.03.95 reconstituted the Central Council of Indian Medicine.

As per Section 9(1) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 the Central Council has the following main Committees namely:-

1. Ayurved Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee.

The above Committees consist of members elected under clause (a), (b) and nominated under clause (c) of sub-section (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970 representing the Ayurved, Siddha and Unani Systems of Medicine.

The Vice-President for each of the Ayurved, Siddha and Unani Systems of Medicine elected under sub-section (3) of Section (3) are respectively the Chairman of the Committees referred to above.

Subject to such general or specific directions as the Central Council may from time to time give, each Committee is competent to deal with any matter relating to Ayurved, Siddha and Unani Systems of Medicine as the case may be within the competence of the Central Council.

The following are the members of the reconstituted Central Council:

AYURVED

1. Dr. Marri Vaman Reddy
2. Dr. Sivanandam
3. Dr. Deovrat Narayan Singh
4. Dr. Maheshwar Pandey
5. Dr. Indra Mohan Jha
6. Dr. Alakh Narayan Singh
7. Dr. Om Prakash Vashisth
8. Dr. Patel Arvind Keshavlal
9. Dr. Bhuptani Ramesh Chandra Amrut Lal
10. Dr. Pawan Kumar Vashist
11. Dr. Dev Narain Sharma
12. Dr. Rudramani Sharma
13. Dr. Gian Chand
14. Dr. Jay Prakash Narayan
15. Dr. SV Savadi
16. Dr. Rajagopalan K.
17. Dr. D. Ramanathan
18. Dr. Ranvir Singh Parihar
19. Dr. Pramod Kumar Jain
20. Dr. Rajesh Shukla
21. Dr. Satish Dutt Garg
22. Dr. Gyan Kumar Ahuja
23. Vaidya Shah Kisan Vithaldas
24. Vaidya Yadav Ramesh Krishna
25. Dr. NV Salgarkar
26. Dr. Ghanshyam Mishra
27. Vaidya Jagjeet Singh
28. Vaidya Mukesh Walia
29. Vaidya Ved Prakash Tyagi
30. Vaidya Mahendra Kumar Sharma
31. Vaidya Raghunandan Sharma
32. Dr. P. Narayanan
33. Dr. Hukam Chand Sharma
34. Dr. Prem Dutt Sharma
35. Dr. Swapan Kumar Bhunia
36. Prof. T. Srinivasa Rao
37. Dr. Ramesh Chandra Bhattacharjee
38. Dr. Srikant Pandey
39. Dr. Shamlal Vashishtha (Shastri)
40. Vaidya KK Pandey
41. Vaidya KK Zala

42. Dr. Sukhdev Raj Vats
43. Dr. SC Hugar
44. Dr. KR Ramachandra
45. Dr. BG Gopinath
46. Dr. Sangappa S. Hosmani
47. Dr. Laxmi Narsimha Shastri
48. Dr. PK Warriar
49. Dr. G. Vinod Kumar
50. Dr. Dineshwar Sharma
51. Dr. Anand Swaroop Upadhyaya
52. Dr. TM Pawar
53. Dr. RC Saxena
54. Dr. RV Sehgaura
55. Vaidya Suhas Narayan Parchure
56. Vaidya Dinanath R. Upadhyaya
57. Vaidya Rohidas Sambhu Patil
58. Dr. Kailash Chandra Padhi
59. Prof. Ved Prakash Sharma
60. Dr. D. Athysayaraj
61. Dr. Sarva Dev Upadhyaya
62. Dr. KK Thakral
63. Prof. (Miss) PV Tewari
64. Dr. Lakshmi Narayan Maity
65. Dr. Sukumar Bhattacharya
66. Vaidya I. Sanjeeva Rao
67. Vaidya SK Sharma
68. Vaidya SK Mishra
69. Vaidya Devendra Kumar Triguna
70. Vaidya GL Chanana
71. Prof. Kulwant Singh
72. Vaidya SC Sankhya Dhar
73. Prof. R. Bharat Rajan
74. Vaidya Sri Ram Sharma
75. Prof. Ved Vrat Sharma
76. Vaidya SK Chhangani
77. Dr. CHS Shastri
78. Vaidya Hari Narayan Swami
79. Vaidya B. Vaidyanathan
80. Prof. Jyotir Mitra Acharya

UNANI

81. Dr. SS Rawat
82. Hakim Farooq Ahmed Abdul Aziz

83. Dr. Daulat Ram Bharaj
84. Dr. Dharam Chand
85. Dr. Bansi Lal Pandit
86. Prof. Hakim Syed Shaji Hyder
87. Dr. Mohd. Akhthar Massod Siddiqui
88. Prof. Hakim Abdul Mobin Khan
89. Hakim Ved Prakash Sharma
90. Hakim Saud Ali Khan
91. Dr. K. Shafiullah Khan
92. Dr. MT Khan
93. Hakim Syed Faizan Ahmad
94. Dr. Taher Banu
95. Hakim Mohd. Ashraf Karim
96. Prof Jamil Ahmad
97. Hakim Mohd. Ahmad Lari
98. Dr. Syed Shahabul Haq
99. Prof. Hakim Shaikh Mohd. Arshad
100. Hakim Syed Imamuddin Ahmed
101. Dr. Abu Bakar Khan
102. Dr. EH Qureshi
103. Dr. Madan Sarup Gupta
104. Hakim AJ Khan
105. Hakim (Mrs.) Alia Aman
106. Dr. Ram Ditta Sharma
107. Hakim Saifuddin Ali

SIDDHA

108. Dr. Stanley Jones
109. Dr. S. Gopala Krishnan
110. Dr. V. Arunachalam
111. Dr. V. Subramanian
112. Dr. MA Kumar.

The first meeting of the reconstituted Central Council of Indian Medicine was held on 14 & 15th March, 1995 to elect the President, Vice-Presidents for Ayurved, Siddha and Unani, constitution of the Executive Committee and other Committees of the Central Council.

The following are the office bearers of the Central Council of Indian Medicine:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Vaidya Sri Ram Sharma | President |
| 2. Vaidya Pt. Shiv Karan Sharma Chhangani | Vice-President (Ayurved) |

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 3. Dr. V. Subramanian | Vice-President (Siddha) |
| 4. Prof. Hakim Abdul Mobin Khan | Vice-President (Unani) |
| 5. Vaidya Devender Kumar Triguna | Member, Executive Committee |
| 6. Dr. Pramod Kumar Jain | do do do |
| 7. Dr. Sivanandam | do do do |
| 8. Vaidya Raghunandan Sharma | do do do |
| 9. Dr. MA Kumar | do do do |
| 10. Dr. Madan Sarup Gupta | do do do |
| 11. Prof. Hakim Shaikh Mohd. Arshad | do do do |

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee is constituted in accordance with regulations in the Schedule to the IMCC Act, 1970 to discharge the functions of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 in the framework of the Act and the rules and regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Committee is represented by members of all three systems of Indian Medicine i.e. Ayurveda, Siddha and Unani.

The Central Council also constituted the following Committees under Section 10 of the IMCC Act, 1970 to carry out various functions.

REGULATION COMMITTEE

The Regulation Committee is constituted by the Central Council to draw up the various regulations of the Central Council as required from time to time and to consider various matters relating thereto under the IMCC Act, 1970.

The following are the members of the Regulation Committee:

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| Chairman | 1. Vaidya I. Sanjeeva Rao |
| Vice-Chairman | 2. Vaidya Ved Prakash Tyagi |
| Members | 3. Dr. BRC Amrutlal |
| | 4. Dr. P Narayanan |
| | 5. Dr. Rajesh Shukla |
| | 6. Dr. Alakh Narayan Singh |
| | 7. Dr. SC Hugar |
| | 8. Dr. Gyan Kumar Ahuja |
| | 9. Dr. AS Upadhyaya |
| | 10. Dr. Hukam Chand Sharma |
| | 11. Dr. SK Bhunia |
| | 12. Dr. Yadav R.K. |
| | 13. Dr. KC Padhi |

14. Dr. S. Gopala Krishnan
15. Hakim Syed Immanuddin Ahmed
16. Hakim K. Shafiullah Khan
17. Dr. Bansilal Pandit
18. Dr. Daulat Ram Bharaj
19. Dr. SS Rawat

REGISTRATION COMMITTEE

The Central Council constituted Registration Committee to look into the matters relating to recognition and inclusion of various medical qualifications in the Schedules to the IMCC Act, 1970 and to make recommendations on the subject. The consideration of the matters relating to registration is also under the purview of this Committee.

The following are the members of the Registration Committee:

- | | |
|---------------|-----------------------------------|
| Chairman | 1. Dr. Jay Prakash Narayan |
| Vice-Chairman | 2. Dr. AK Patel |
| Members | 3. Dr. Dev Narain Sharma |
| | 4. Vaidya Pawan Kumar Vashist |
| | 5. Dr. Satish Dutt Garg |
| | 6. Dr. D. Ramanathan |
| | 7. Dr. BG Gopinath |
| | 8. Dr. R. Bharat Rajan |
| | 9. Dr. D. Athysayaraj |
| | 10. Vaidya Rohidas S. Patil |
| | 11. Dr. Lakshmi Narasimha Shastri |
| | 12. Dr. Gyan Kumar Ahuja |
| | 13. Dr. N V Salgarkar |
| | 14. Dr. Mahendra Kumar Sharma |
| | 15. Dr. PD Sharma |
| | 16. Dr. M. Vaman Reddy |
| | 17. Dr. Dharam Chand |
| | 18. Dr. RD Sharma |
| | 19. Hakim Akhtar Masood Siddiqui |
| | 20. Dr. MT Khan |
| | 21. Hakim Saud Ali Khan |
| | 22. Dr. V. Stanley Jones. |

FINANCE COMMITTEE

The Central Council constituted the Finance Committee to look after the financial matter of the Central Council.

The following are the members of Finance Committee:

- | | |
|---------------|-------------------------------|
| Chairman | 1. Vaidya GL Chanana |
| Vice-Chairman | 2. Hakim Abu Bakar Khan |
| Members | 3. Dr. MA Kumar |
| | 4. Vaidya KK Pandey |
| | 5. Vaidya Mukesh Walia |
| | 6. Dr. SC Sankhya Dhar |
| | 7. Dr. KR Ramachandran |
| | 8. Dr. SS Rawat |
| | 9. Dr. D. Ramanathan |
| | 10. Hakim Shaikh Mohd. Arshad |

EDUCATION COMMITTEES (AYURVED, SIDDHA & UNANI)

The Education Committees are competent to deal with all the matters pertaining to Ayurved, Siddha & Unani education respectively. The following are the members of the Education Committees of Ayurved, Siddha and Unani:

AYURVEDA

- | | |
|---------------|---|
| Chairman | 1. Vaidya SK Mishra |
| Vice-Chairman | 2. Dr. Dineshwar Sharma |
| Members | 3. Vaidya Pt. SK Sharma Chhangani, Vice-President (Ayurved) |
| | 4. Dr. RS Parihar |
| | 5. Dr. SC Saxena |
| | 6. Prof. T. Srinivasa Rao |
| | 7. Prof. (Miss) PV Tiwari |
| | 8. Vaidya SK Sharma |
| | 9. Dr. KK Thakral |
| | 10. Vaidya Shah Kisan Vithaldas |
| | 11. Vaidya Jagjeet Singh |
| | 12. Dr. Ghanshyam Mishra |
| | 13. Vaidya Hari Narain Swamy |
| | 14. Dr. LN Maity |
| | 15. Vidya KK Zala |
| | 16. Dr. CHS Shastri |
| | 17. Prof. Kulwant Singh |
| | 18. Dr. Rudramani Sharma |
| | 19. Dr. Sangappa S. Hosmani |
| | 20. Dr. SV Savadi |
| | 21. Dr. OP Vashistha |
| | 22. Dr. Sukhdev Raj Vats |

23. Dr. RC Bhattacharya
24. Dr. K. Rajagopalan
25. Vaidya Gauri Lal Chanana
26. Dr. Hukam Chand Sharma
27. Prof. Ved Prakash Sharma
28. Dr. D. Ramanathan
29. Prof. Jyotirmitra Acharya
30. Vaidya AS Upadhyaya
31. Vaidya Suhas N. Parchure

SIDDHA

Chairman
Vice-Chairman
Members

1. Dr. V. Subramanian, Vice-President (Siddha)
2. Dr. V. Arunachalam
3. Dr. S. Gopala Krishnan
4. Dr. MA Kumar
5. Dr. V. Stanley Jones

UNANI

Chairman
Vice-Chairman
Members

1. Prof. Hakim Jamil Ahmed
2. Prof. Hakim Shahabul Haq
3. Prof. Hakim Abdul M. Khan, Vice-President (Unani)
4. Prof. Hakim S. Shaji Hyder
5. Prof. Hakim S. Immaduddin Ahmed
6. Hakim AJ Khan
7. Hakim Saud Ali Khan
8. Hakim Ved Prakash Sharma
9. Hakim Mohd. Ashraf Karim
10. Prof. Hakim Abu Bakar Khan
11. Prof. Hakim S. Mohd. Arshad
12. Hakim (Mrs.) Alia Aman
13. Hakim MA Lari
14. Hakim Bansilal Pandit
15. Hakim (Mrs.) Teher Banu
16. Dr. Madan Sarup Gupta
17. Hakim S. Shafiullah Khan

During the year 1994-95, the following meetings were held:

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Central Council of Indian Medicine | One |
| 2. Executive Committee | Three |
| 3. Education Committee (Unani) | Two |

The salient recommendations made by Central Council during year are as under:

The Executive Committee at its meeting held on 12.1.95 discussed the guidelines regulating admission and fee in respect of Indian Systems of Medicine and Nursing colleges/institutions and approved the guidelines to be forwarded to the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi.

The Executive Committee noted that the Ministry of Health vide their letter No. 2002/US(ISM)/94 dated 10.5.94 proposed some amendments in the IMCC Act, 1970 for implementation of the Supreme Court judgement with regard to fees structure in the ISM Colleges as well as its amendments to the IMCC Act, 1970 on the lines of amendments carried out in the IMC Act, 1956 and on the basis of amendments proposed by the CCIM in the IMCC Act, 1970 earlier. It was also requested that the Central Council may kindly update them and get it approved at the appropriate level and send it to the Ministry.

The Committee went through the modified amendments in the IMCC Act, 1970 and approved the same correcting the number of proposed Section as mentioned in the margin as 14(3), 14(4) and 14(5) instead of 10A, 10B, and 10C.

It was also noted that in the proposed amendment, there is no provision for punishment except non-recognition of the degree awarded by the institution. The Committee, therefore, proposed that a Section 14(6) may also be inserted in the proposed amendments and approved the proposed amendments to be forwarded to the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi.

The Central Council decided that in accordance with Section 2(1) (e) of the IMCC Act, 1970, the definition of modern advances as approved by the Central Council is as under:-

The institutionally qualified practitioners of Indian Systems of Medicine whose qualifications are included under 2nd Schedule to the IMCC Act, 1970 will have all the privileges including the right to practice any system of medicine as contemplated under Section 17(3) (b) of the IMCC Act, 1970.

The Executive Committee noted that according to "Transplantation of Human Organs Bill, 1992 (L IX 1992), as passed by both the Houses of Parliament, in Section (2) (n) Registered Medical Practitioner has been defined as 'Registered Medical Practitioner' means a medical practitioner who possess any recognised medical qualification as defined in clause (h) of Section 2 of IMC Act, 1956 and who is enrolled on a State Register in Clause (k) of that Section.

The Executive Committee feel that it is highly and clearly discriminatory against Registered Practitioner of Indian Systems of Medicine holding qualifi-

cations included in Schedule II, III & IV of IMCC Act, 1970. It was decided that a letter be written to the Ministry of Health & Family Welfare, Government of India stating that the definition of Registered Medical Practitioner as given in Section (2) (n) of the Transplantation of Human Organ Bill, 1992 (L IX 1992) may be elaborated and qualification included in the Schedule II, III & IV of IMCC Act, 1970 be included in the definition of Registered medical practitioners of Section (2) (n) of the Transplantation of Human Organs Bill, 1992 (L IX 1992).

AYURVEDA

Ministry of Health & Family Welfare vide their letter No. V. 26017/5/90-AE dated 15.07.94 conveyed the sanction of the Central Government under Section 36 of the IMCC Act, 1970 to the Indian Medicine Central Council (Post-graduate Education) (Amendment) Regulation, 1994 of Ayurveda.

The Central Council decided to have a provision of one post of Lecturer under Department of Samhita, Sanskrit and Siddhant to teach Sanskrit subject in the First Professional of Ayurvedacharya Course and also decided the minimum qualification for Sanskrit teachers as under:

"A degree in Ayurved from a University established by law or a Statutory Board/Faculty/Examining Body of Indian Medicine or its equivalent as recognised under IMCC Act, 1970 alongwith Shastri in Vyakaran/Sahitya/Darshan

OR

MA in Sanskrit or its equivalent qualification from a recognised University.

It was also decided that in case of person having MA (Sanskrit) who does not possess any of the recognised qualification in Ayurved included in IMCC Act, 1970 as prescribed under Regulation shall not be covered under cadre."

The above proposal was submitted to the Ministry of Health & Family Welfare to accord necessary sanction under Section 36 of IMCC Act, 1970.

The Central Council decided to include the "Senior Upadhyaya with Science subject Pariksha" conducted by Secondary Board of Education, Rajasthan, Ajmer in the admission qualification prescribed under Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 1989. The above proposal was submitted to the Ministry of Health & Family Welfare to accord the sanction by the Central Government under Section 36 of the IMCC Act, 1970 for insertion of the above qualification in the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 1989 at Serial No. 2(1) after line

Uttar Madhyama of Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya with English."

OR

Senior Upadhyaya with Science subject Pariksha conducted by Secondary Board of Education Rajasthan, Ajmer."

The Central Council decided to include the details of *GENETIC* subject in Ayurvedacharya Course for full knowledge of the subject to the students and the person having the following qualifications may be appointed as Lecturer in Ayurved college for teaching the Genetic subject:-

MINIMUM QUALIFICATION

M.Sc. (Zoology)

Three years teaching experience in Ayurved college.

It was also decided that in case of person having M.Sc. (Zoology) who does not possess any of the recognised qualification in Ayurved included in the IMCC Act, 1970 as prescribed under Regulations of Ayurved shall not be covered under cadre.

It was requested to the Ministry of Health & Family Welfare to accord necessary sanction under Section 36 of IMCC Act, 1970 for insertion of the above para in the Indian Medicine Central Council (Minimum Standard of Education in Indian Medicine) (Amendment) Regulations, 1989.

RECOMMENDATION

The Central Council after assessing the minimum standard and requirement available at SSN Ayurved college & Research Institute, Sambalpur for imparting education in Under-graduate course of Ayurved in light of the minimum standards and requirements laid down by the Central Council permitted the college to continue Ayurvedacharya Course till the year 1994-95 provided the progress made by the institution to remove/fulfil the shortcomings be intimated to the Central Council six monthly.

The Central Council after assessing the minimum standards and requirements available at Government Taranath Ayurved College, Bellary (Karnataka) for imparting Under-graduate education of Ayurved in conformity with the minimum standards and requirements laid down by the Central Council decided to stop the admission immediately in the above college from the session 1995-96 till the further permission.

The Central Council after assessing the minimum standards and requirements available at Government Ayurved Mahavidyalaya, Paprola for imparting education in Under-graduate Course of Ayurved permitted Government

Ayurved Mahavidyalaya, Paprola to conduct Ayurvedacharya Course subject to the conditions of fulfilment of shortcomings upto March, 1995 and send/submit the compliance/progress report.

The Maharashtra Arogya Mandal's Ayurved Mahavidyalaya, Hadapsar, Pune was permitted to continue the course for five years subject to the condition of fulfillment of the shortcomings upto March, 1995 and send the compliance report.

The Central Council after assessing the minimum standards and requirements available at Yerala Medical Trust's Research Centre's Ayurved Medical College, Bombay for imparting education in Ayurvedacharya course in the light of the minimum standards and requirements laid down by Central Council permitted the above college to make the admission for the session 1994-95 only subject to the condition of fulfilment of shortcomings upto March, 1995.

The Central Council after assessing the minimum standards and requirements available at Hanuman Shikshan Prasarak Mandal's Ayurved Mahavidyalaya, Vadagaon, Kolhapur in-conformity with the minimum standards and requirements laid down by the Central Council permitted the above college to make the admission for the session 1994-95 only subject to the condition of fulfilment of shortcomings upto March, 1995.

The Central Council after assessing the minimum standards and requirements available at Yashwant Shikshan Prasarak Mandal's Yashwant Ayurved Mahavidyalaya, Kodoli (MS) by conducting visitation in light of the minimum standards and requirements laid down by the Central Council permitted the above college to make admission for the session 1994-95 only subject to the condition of fulfilment of shortcomings upto March, 1995.

The Ganga Education Society's Ayurved Medical College, Kolhapur was permitted to make the admission for the session 1994-95 only subject to the condition of fulfilment of shortcomings upto March, 1995.

The Central Council after assessing the minimum standards and requirements and considering the available facilities of teaching and practical training at Dhule Charitable Society's Ayurved Mahavidyalaya, Deopur, Dhule permitted to make the admission for the session 1994-95 only subject to the condition of fulfilment of shortcomings pointed out during visitation upto March, 1995.

The Central Council after assessing the minimum standards and requirements and available facilities of teaching and practical training permitted the Chaitanya Ayurved Mahavidyalaya & Hospital, Sakegaon, Bhusawal to make the admission for the session 1994-95 only subject to the conditions of

fulfilment of requirements and shortcomings upto March, 1995.

The Gramin Ayurved Mahavidyalaya, Patur, Distt. Akola (MS) was permitted to make admission for the session 1994-95 only subject to the condition of fulfilment of shortcomings upto March, 1995.

The Central Council after assessing the minimum standards, requirements and available facilities of teaching and practical training permitted the Ayurved Mahavidyalaya, Shankar Nagar, Pusad (MS) to make the admission for the session 1994-95 subject to the condition of fulfilment of shortcomings upto March 1995.

Bhai Saheb Mulak Ayurved College, the Backward Class Youth Relief Committee's, Nandanwan, Nagpur was permitted to make the admission for the session 1994-95 subject to the condition of fulfilment of requirements and shortcomings upto March, 1995.

The Central Council after assessing the minimum standards and requirements available at Gangadhar Shastri Gune Ayurved Mahavidyalaya, Ahmadnagar (MS) in light of the minimum standards and requirements prescribed by the Central Council under the Regulations of Post-graduate education of Ayurved has decided not to allow the above college to make the admission in Kayachikitsa and Prasutitantra for Post-graduate specialities from the Session 1995-96 onwards till the teaching staff (Professor & Reader) in each department (specially in PG Department) are recruited by the college latest by 30th June, 1995.

The following Ayurved colleges/institutions were visited during the year for the purpose to assess the minimum standards and requirements for imparting Under-graduate/ Post-graduate education in conformity with the minimum standards and requirements laid down/prescribed by Central Council under the Regulations pertaining to Under-graduate/Post-graduate education of Ayurved:

Name of the College	Date of Visitation	UG/PG
University of Gulbarga		
1. Govt. Taranath Ayurved College Anantapur Road BELLARY (Karnataka)	25&26.7.94	UG
University of Pune		
2. Maharashtra Arogya Mandal Ayurved Mahavidyalaya HADAPSAR (MS)	26.7.94	UG

3. Shri Gangadhar Shastri Gune Ayurved Mahavidyalaya AHMEDNAGAR (MS)	15.11.94	PG
4. Siddh Kalan Ayurved Mahavidyalaya Nehru Chowk SANGAMNER (MS)	16.11.94	UG
5. Sangam Sevabhavi Trust's Ayurved Mahavidyalaya SANGAMNER (MS)	16.11.94	UG
HP University, Simla		
6. Rajkiya Ayurved Mahavidyalaya PAPROLA, Distt. Kangra (HP)	26.11.94	UG
North Maharashtra Vidyapeeth, Jalgaon		
7. Chaitnya Ayurved Mahavidyalaya Sakegaon, BHUSAWAL (MS)	30.6.94	UG
8. Dhule Charitable Society's Ayurved Mahavidyalaya DHULE (MS)	1.7.94	UG
Shivaji University, Kolhapur		
9. Yashwant Shikshan Prasarak Mandal's Ayurved Mahavidyalaya Kodoli KOLHAPUR (MS)	27.7.94	UG
10. Hanuman Shikshan Prasark Mandal's Ayurved Mahavidyalaya Peth, VADAGAON, KOLHAPUR (MS)	28.7.94	UG
11. Ganga Education Society's Ayurved Medical College KOLHAPUR (MS)	27.7.94	UG
University of Bombay		
12. Yerala Medical Trust & Research Centre's Ayurved Medical College BOMBAY	29.7.94	UG
Amravati University, Amravati		
13. Ayurved Mahavidyalaya Shankar Nagar, PUSAD Distt. Yeotmal (MS)	21.6.94	UG
14. Gramin Ayurved Mahavidyalaya PATUR Distt. Akola (MS)	22.6.94	UG
Nagpur University, Nagpur		
15. Bhai Saheb Mulak Ayurved College Nandanwan NAGPUR (MS)	20.6.94	UG

SIDDHA

The Central Council with the previous sanction of the Ministry of Health & Family Welfare notified the Post-graduate course of Siddha in speciality Strappu Maruthuvam and Kuzhanthai Maruthuvam in the Gazette of India, Part III Section 4 dated 15.10.94.

The proposal for Post-graduate diploma course in Siddha Medicine was submitted to the Ministry of Health & Family Welfare vide this office letter No. 18-2/94-S dated 12.12.91 for sanction as required under Section 36 of IMCC Act, 1970. The Ministry of Health & Family Welfare vide their letter No. V. 26017/1/92-AE (Pt.) dated 14.11.94 informed that keeping in view the uniform standards of the degree/qualifications of Post-graduate teaching training in Siddha, it is adviseable if MD (Siddha) Courses are started in two subjects:-

1. Tol Noi (Skin Disease)
2. Karmaio (Eye)
3. Kathu Mooku Thondai Noi (ENT)

The duration is of 3 years for MD. It was requested that the Central Council may reconsider the proposal.

UNANI

The proposal of 4½ years degree course with one year internship (Three Professional examination 1½ years each) of Unani Tibb approved by the Central Council of Indian Medicine was submitted to the Ministry of Health & Family Welfare for sanction as required under Section 36 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970.

The Central Council after assessing the minimum standards and requirements available at Taj Tibbia College & Rasheedia Hospital, Nagpur for imparting under-graduate course of Unani Tibb in-conformity with the minimum standards and requirements laid down by the Central Council of Indian Medicine permitted Taj Tibbia College & Hospital, Nagpur to continue Kamil-e-Tibb-o-Jarahat Course for the period of two years i.e. 1994-95 and 1995-96. The management was directed to fulfill the requirements and remove the shortcomings indicated in the visitation report.

The Central Council after assessing the minimum standards and requirements available at Tibbia College & Hospital Nagpada, Bombay for imparting Kamil-e-Tibb-o-Jarahat degree course of Unani Tibb in-conformity with minimum standards and requirements laid down by the Central Council allowed

Tibbia College & Hospital, Bombay to conduct Kamil-e-Tib-o-Jarahat course for a period of two years provided the shortcomings indicated in the visitation report are fulfilled within two years.

PERMISSION TO NEW COLLEGES

The Central Council after assessing the minimum standards and requirements for imparting Under-graduate education of Unani Tibb in-conformity with the minimum standards and requirements laid down by Central Council permitted the following new institutions/Unani colleges for imparting Under-graduate course of Unani Tibb subject to the condition that the shortcomings pointed out be fulfilled within two years:-

1. Unani Medical College & Hospital, Srinagar (J&K)

VISITATION OF UNANI COLLEGES

The following Unani Colleges were visited during the year to assess the minimum standards and requirements for Under-graduate education in Unani Tibb in-conformity with minimum standards and requirements laid down by the Central Council of Indian Medicine.

Name of College	Date of Visitation	UG/PG
1. Unani Tibbia College & Hospital Srinagar	3.9.94	UG
2. Taj Tibbia College & Rasheeda Hospital NAGPUR	17.12.94	UG
University of Bombay, Bombay		
3. Tibbia College & Hospital Nagpada BOMBAY	17.9.94	UG
University of Bihar, Muzaffarpur		
4. Zulfequar Haider Unani Medical College & Hospital, SIWAN (BIHAR)	23.09.94	UG
Sagar University, Sagar		
5. Salfia Hamedia Unani Tibbia College BURHANPUR (MP)	08.10.94	UG
Kanpur University, Kanpur		
6. National Unani Medical College SAHARANPUR (UP)	1.12.94	UG
7. Alma Iqbal Unani Medical College MUZAFFARNAGAR (UP)	21.11.94	UG
Dr. MGR Medical University, Madras		
8. Government Unani Medical College MADRAS	28&29.12.94	UG

Bangalore University, Bangalore
Government Unani Medical College 26&27.12.94 UG
BANGALORE

RECOGNITION OF MEDICAL QUALIFICATION

The following medical qualifications of Indian Systems of Medicine awarded by various Universities/institutions were recommended by the Central Council to the Ministry of Health & Family Welfare for their inclusion in the Part I and II of the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970:-

PART I

Name of University/Awarding Body	Nomenclature of Degree	Year of Recognition
1. Punjab State Faculty of Ayurved & Unani Systems of Medicine, Chandigarh	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS Upto 1992 only
2. Mahatma Gandhi University Kottayam	Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	BAMS From 1988 onwards
3. Board of Examiners of Indian/Indigenous/Integrated Medicine/Commissioner for Govt. Examination Government of Madras.	Licentiate in Indian/Indigenous/Integrated Medicine.	LIM From 1924 to 1957
	Graduate of the College of Indian/Indigenous/Integrated Medicine	GCIM From 1947 to 1960

PART II

1. Jamia Hamdard (Deemed) University New Delhi	Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery)	BUMS From 1995 onwards
2. Board of Examiners of Indian/Indigenous/Integrated Medicine/Commissioner for Government Examination, Government of Madras.	Licentiate in Indian/Indigenous/Integrated Medicine.	LIM From 1924 to 1957
	Graduate of College of Indian/Indigenous/Integrated Medicine	GCIM From 1947 to 1960

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

The preparation and maintenance of the Central Register of Indian Medicine is one of the main functions of the Central Council. As per Section 23 of

the Indian Medicine Central Council Act, 1970 the Central Council shall cause to be maintained in the prescribed manner, a register of Indian Medicine to be known as the Central Register of Indian Medicine which shall contain the names of all persons who are for the time being enrolled on any State Register of Indian Medicine and who possess any of the recognised medical qualifications included in the Schedules to the IMCC Act, 1970.

The Central Register of Indian Medicine almost upto 1986 pertaining to Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Delhi, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Punjab, Rajasthan, Tamilnadu and West Bengal have been published in the Gazette of India.

Besides the above, the Central Register pertaining to the following States for the period mentioned against each State have also been published in the Gazette of India during the year:-

1. West Bengal	January 1987 to March 1991
2. Uttar Pradesh	January 1988 to March 1991
3. Gujarat	January 1987 to March 1991
4. Himachal Pradesh	January 1987 to March 1991
5. Orissa	January 1987 to March 1991

The Central Register of Indian Medicine pertaining to the following States were sent for Gazette Notification in the Gazette of India.

1. Haryana	January 1987 to March 1991
2. Karnataka	January 1987 to March 1991
3. Tamil Nadu	January 1987 to March 1991
4. Maharashtra	January 1987 to March 1991
5. Delhi	January 1984 to March 1991

The State Register in the prescribed proforma has not been received from Uttar Pradesh Council from inception of the State Council to 1987 inspite of repeated reminders/requests.

Hence, nothing could be done to prepare the Central Register of Indian Medicine pertaining to Uttar Pradesh. However, the Central Register from 1988 to 1991 of Uttar Pradesh has been published in the Gazette of India.

ADMINISTRATION AND FINANCE

The Central Council submitted a proposal to the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi for creation of following posts of Inspectors for Ayurved/Unani/Siddha Systems of Medicine alongwith their recruitment rules

for sanction:-

Ayurved	3
Unani	1
Siddha	1 (Part-time)

The Central Council submitted a proposal to the Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi for creation of post of Asstt. Registrar (Legal) in the pay scale of Rs. 2200-4000 for the office of CCIM alongwith its recruitment rules for sanction.

It was noted that pay scale of Registrar-cum-Secretary in the CCIM is Rs. 4000-5000 which is much less than the pay scales of Director, CCRAS & CCIRM whereas the duties and responsibilities of the Registrar are also of very important nature. The Executive Committee discussed the issue and agreed to the proposal of pay scale of Registrar-cum-Secretary of the Central Council at par with the pay scale of Director of Central Council for Research in Ayurved and Siddha and Central Council for Research in Unani Medicine i.e. 4500-5700. It was decided that this may be forwarded to the Ministry of Health & Family Welfare for sanction.

The Central Council is a small organisation. However, every care is taken to ensure that the reservations made by the Government of India for different categories are maintained. Out of 35 employees of the Central Council, the reservations made for different categories is as under:-

Schedule Caste	Four
Schedule Tribe	Two
Physically Handicapped	Two
Ex-Serviceman	One

BUDGETARY RESOURCES

The Budget Estimates and Revised Estimates for the year 1994-95 were approved by the Council and released/sanctioned by the Government are as under:-

	Non Plan Rs. in lakh	Plan Rs. in lakh
1. Budget Estimates 1994-95 (Approved by the Council)	54.72	20.00
2. Budget Estimates 1994-95 (Sanctioned by the Ministry)	21.00	02.00
3. Revised Estimates 1994-95 (Approved by the Council)	31.04	20.00
4. Revised Estimates 1994-95 (Sanctioned by the Ministry)	21.00	02.00
5. Grant-in-aid released by Ministry	21.00	02.00

**OFFICE OF THE AUDIT, CENTRAL REVENUES
NEW DELHI**

No. OAD II/SAR/CCIM/95-96/313

Dated 21-12-95

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Health & Family Welfare
Nirman Bhawan,
NEW DELHI.

Subject:- Audit Report on the Central Council of Indian Medicine, New Delhi
for the year 1994-95.

Sir,

I am to enclose a copy of the certified annual accounts of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1994-95 together with the Audit Report thereon and Audit certificate for being laid on the table of Parliament.

Two copies of the documents as presented to the Parliament may please be furnished to the office and also to the office of the Comptroller and Auditor General of India indicating the date on which these were presented to Parliament.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully

Sd/-

Encl: As above

Deputy Director of Audit
(Inspection-I)

No. OAD II/SAR/CCIM/95-96/314

Dated 21-12-95

Copy together with a copy of the certified annual accounts, the audit Report thereon and the Audit Certificate is forwarded to the Secretary, Central Council of Indian Medicine, 61-65, Institutional Area, Janakpuri, New Delhi-110058 for necessary action with reference to their letter No. 10-13/95-Accounts dated 4-12-95. The date on which the certified annual accounts are considered by the Governing Body may please be intimated to this office alongwith supporting documents. Five copies of the Hindi version of the certified annual accounts may also be supplied to this office at the earliest.

Sd/-

Deputy Director of Audit
(Inspection II)

No. OAD II/SAR/CCIM/95-96/315

Dated 21-12-95

Copy together with a copy of the certified annual accounts, the Audit Report and the Audit Certificate forwarded to Shri Sarup Singh, Administrative Officer (Rep AB) office of the Comptroller and Auditor General of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi with reference to Headquarter's office letter No. 379- Report (Health Deptt)/220-95 dated 4-12-95

A Statement incorporating replies to Headquarters' comments/observations is also enclosed.

This issues with the approval of DACR- I.

Sd/-
Deputy Director of Audit
(Inspection II)

Encl: As above

Audit Report on the Accounts of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the Year 1994-95

1. Introduction

The Central Council of Indian Medicine (Council) New Delhi was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the object of prescribing minimum standards of education for courses in Indian system, maintenance of Central Register of Indian Medicine etc. and other matters connected therewith.

As required under Rule 86 of the Council's Regulation 1976 made under Indian Medicine Central Council Act 1970, the accounts of the Council are audited under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General of India (Duties, Powers and Condition of Service) Act 1971.

The Council is financed mainly by grants from Government of India. The Council received grants amounting to Rs. 23.00 lakhs (Rs. 21.00 lakhs under Non plan and Rs. 2.00 lakhs under Plan) during the year 1994-95.

2. Bank Reconciliation

As per Rule 13.5 of the Central Government Receipts and Payments Rules 1983, reconciliation of bank statements at the close of each month/ year is one of the important duties of the Drawing and Disbursing Officer to find out the reasons/ results of difference between the bank statement and the cash book balance. Any delay in reconciliation may result in frauds and misappropriation escaping notice of the management. It was, however observed that the Council had not conducted the bank reconciliation during the year 1994-95. In the absence of such reconciliation the correctness of cash at bank shown in the accounts could not be verified. The Council stated (December 1995) that the bank reconciliation had since been done.

Sd/-

Place : New Delhi.
Date : 21.12.95

Director General of Audit
Central Revenues.

Audit Certificate

I have examined the Receipts and Payments Account/Income and Expenditure Account for the year ended 31st March 1995 and the Balance Sheet as on 31st March 1995 of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Central Council of Indian Medicine according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Sd/-

Director General of Audit
Central Revenues

Place: New Delhi.
Date: 21.12.95

**CENTRAL COUNCIL OF
NEW
RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS**

RECEIPTS	NON PLAN		PLAN
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
OPENING BALANCE AS ON 1-4-1994			
Cash in hand	5,981		
Cash at Bank in Current A/c	1,31,462		
Cash at Bank in Saving Bank A/c	19,858	1,57,301	—
Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during 1994-95		21,00,000	2,00,000
RECOVERY OF ADVANCES			
Festival Advance	14,700		
Scooter Advance	3,920		
		18,620	—
MISCELLANEOUS REMITTANCES			
General Provident Fund	3,56,251		
Income Tax	20,890	3,77,141	—
RECEIPTS OTHER THAN GRANT-IN-AID			
Leave Salary Contribution	1,625		
Pension Contribution	1,780		
C.G.H.S. Subscription	2,162		
Interest on Advances from Employees	1,594		
Medical Refund	16,513	23,674	15,200
RECOGNITION FEE			
Fees received during the year 1994-95			
1992-93	98,000		
1993-94	2,50,000		
1994-95	3,69,000		
Excess	33,000	7,50,000	
Interest earned on deposits & Saving Bank A/c		28,792	7,78,792
Investment of fee in Short Term Deposit matured		6,50,000	
Balance c/f		41,05,528	2,15,200

**INDIAN MEDICINE,
DELHI**

FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1995

TOTAL PAYMENTS	NON PLAN		PLAN
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
1 PAY & ALLOWANCES			
Pay of Officer	54,625		
Pay of Establishment	5,18,196		
Non Practising Allowance	25,800		
Post Graduate Allowance	2,400		
Dearness Allowance	6,47,829		
House Rent Allowance	1,30,006		
City Compensatory Allowance	22,090		
Interim Relief	38,300		
Washing Allowance	1,605		
Conveyance Allowance	1,567		
Bonus	23,909		
Leave Salary Contribution	1,054		
Overtime Allowance	125		
Tuition Reimbursement	3,940		
C.G.H.S. Contribution	28,188		
Medical Reimbursement	6,300		
Remuneration PA to President	5,500		
Leave Travel Concession	19,110	15,30,544	—
2 CONTINGENCIES			
a) Recurring Expenditure			
Stationary	33,084		
Rent	56,400		
Postage & Telegram	6,956		
Telephones	22,972		
Electric Charges	13,351		
Newspaper & Periodical Books	1,353		
Liveries Expenses	3,845		
Audit Fee	13,815		
Printing Expenses	17,916		
Legal Expenses	1,410		
Maintenance of Office Equipment	20,006		
Conveyance Expenses	5,108		
	1,96,216	15,30,544	—

CENTRAL COUNCIL OF INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNTS

EXPENDITURE	NON-PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT	AMOUNT
1. PAY AND ALLOWANCE				
Pay of Officers	54,625			
Pay of Establishment	5,18,196			
Non-practising Allowance	25,800			
Post-graduate Allowance	2,400			
Dearness Allowance	6,47,829			
House Rent Allowance	1,30,006			
City Compensatory Allowance	22,090			
Interim Relief	38,300			
Washing Allowance	1,605			
Conveyance Allowance	1,567			
Bonus	23,909			
Leave Salary Contribution	1,054			
Overtime Allowance	125			
Tuition Reimbursement	3,940			
CGHS Contribution	28,188			
Medical Reimbursement	6,300			
Remuneration PA to President	5,500			
Leave Travel Concession	19,110			
		15,30,544		
2. CONTINGENCIES				
Stationary	33,084			
Rent	56,400			
Postage & Telegram	6,956			
Telephones	22,972			
Electric Charges	13,351			
Newspapers & periodical books	1,353			
Liveries Expenses	3,845			
Audit Fee	13,815			
Printing Expenses	17,916			
Legal Expenses	1,410			
Maintenance of Office Equipment	20,006			
Conveyance Expense	5,108			
Sundry Expenses	96,549			
Bank Charges	65	2,92,830		
Balance C/F		18,23,374	Nil	

INDIAN MEDICINE FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1995

INCOME	NON-PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT (Rs.)	AMOUNT	AMOUNT (Rs.)
Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during 1994-95	21,00,000			2,00,000
Less-Grant Capitalise	<u>28,217</u>	20,71,783		
Miscellaneous Receipts	1,625			
Leave Salary contribution	1,780			
Pension Contribution	2,162			
CGHS Subscription	1,594		15,200	
Interest on Advances	16,513			
Medical refund				15,200
Interest on fee's deposits & Saving Bank a/c	<u>28,792</u>	52,466		
Recognition fee recoverable for 94-95	9,37,000			
Amount of fee for adjustment	<u>29,000</u>	9,66,000		
Excess of Expenditure over Income				5,53,907
Balance C/F		30,90,249		7,69,107

Balance B/F

18,23,374

3. Travel Expenses

President/Vice-President	37,633
Secretary/Establishment	31,572
Members of Executive Committee	1,13,000
Members of Education Committee (Unani)	56,678
Members of Visiting Committee	1,32,360
Members of Council	<u>3,65,732</u>

7,36,975

- 4. Contribution toward Pension fund
- 5. Interest to General Provident Fund
- 6. Publication
- 7. Excess of Income over Expenditure

1,05,072
 46,624
 — 7,69,107
 3,78,204

TOTAL

30,90,249 7,69,107

Balance B/F

30,90,249

7,69,107

TOTAL	<u>30,90,249</u>	<u>7,69,107</u>
-------	------------------	-----------------

Stationery	3,074
Postage & Telegrams	6,255
Telephone	2,772
Electric Charges	13,334
Newspapers & periodicals	1,354
Books Expenses	1,245
Mail Fee	13,815
Printing Expenses	17,000
Legal Expenses	1,470
Amortisation of Office Equipment	27,000
Contingent Expenses	3,100
Carry over Expenses	95,340
Heat Charge	61

2,90,000

701 00 7 042 00 00

TOTAL	<u>30,90,249</u>	<u>7,69,107</u>
-------	------------------	-----------------

CENTRAL COUNCIL OF BALANCE SHEET AS ON

LIABILITIES	NON-PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
GENERAL RESERVE				
Assets acquired the day of Estt. (as per last Balance Sheet)		20,080.15		Nil
Assets acquired out of Grant-in-aid (as per last Balance Sheet)			5,60,906.32	
Addition during the year	2,01,318.30			
	<u>28,217.00</u>	2,29,535.30		5,60,906.32
SUB TOTAL	2,49,615.45			5,60,906.32
Excess of Income over expenditure as per last Balance Sheet	12,84,489.00			
Less excess of 93-94	<u>15,000.00</u>			
	12,69,489.00			
Addition during the year Publication	<u>3,78,204.00</u>	16,43,693.00		
As per last Balance Sheet			13,76,660.00	
Addition during the year Recognition fee as per last Balance Sheet		<u>6,02,360.00</u>		19,79,020.00
Less adjusted during the year	45,000.00			
	<u>29,000.00</u>			
	16,000.00			
Addition during the year	<u>33,000.00</u>	49,000.00		
TOTAL	<u>19,46,308.45</u>		<u>25,39,926.32</u>	

INDIAN MEDICINE 31ST MARCH, 1995

ASSETS	PLAN		NON PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
(a) Non-Recurring Nature				
1) Furniture & Fixture				
As per last balance sheet	73,541.65			42,687.76
Addition during the year	<u>25,586.00</u>	99,127.65		
2) Air Cooling Appliances				
As per last Balance Sheet	22,340.73			26,789.80
Addition during the year	<u>1,300.00</u>	23,640.73		
3) Office Equipments				
As per last balance sheet	94,941.16			4,91,428.76
Addition during the year	<u>1,331.00</u>	96,272.16		
4) Books for Library				
As per last Balance Sheet			<u>30,574.91</u>	
SUB TOTAL		2,49,615.45		5,60,906.32
(b) RECURRING NATURE				
1) Telephone				
As per last Balance Sheet			9,228.00	19,960.00
2) Festival Advance				
As per last Balance Sheet	11,220.00			
Addition during the year	<u>13,200.00</u>			
	24,420.00			
Less Recovery during the year	<u>14,700.00</u>	9,720.00		
3) Scooter Advance				
As per last Balance Sheet	5,740.00			
Less Recovery during the year	<u>3,920.00</u>	1,820.00		
4) Recognition fee				
As per last Balance Sheet	6,96,000.00			
Less excess of 93-94	<u>15,000.00</u>			
	6,81,000.00			
Less Redeemed during the year	<u>3,48,000.00</u>			
	3,33,000.00			
Addition during year	<u>5,68,000.00</u>	9,01,000.00		
5) Investment in Fixed deposit				
As per last Balance Sheet	4,50,000.00			
Addition during the year	<u>6,00,000.00</u>			
	10,50,000.00			
Less redeemed during year	<u>6,50,000.00</u>	4,00,000.00		
6) Excess of Expenditure over Income			13,56,700.00	
Addition during year			<u>553907.00</u>	19,10,607.00
7) Closing Balance as on 31.3.1995				
Cash in hand	10,002.00			
Cash at Bank in current a/c	1,85,362.00			48453.00
Cash at Bank in Saving Bank a/c.				
	<u>1,79,561.00</u>	<u>3,74,925.00</u>		<u>48,453.00</u>
TOTAL		19,46,308.45		25,39,926.32

**CENTRAL COUNCIL
GENERAL PROVIDENT
RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS**

RECEIPTS	AMOUNT	AMOUNT
Opening Balance as on 1.4.94 in Saving Bank Account with Bank of India		15,211.28
Subscription by employees		1,87,551.00
Recovery of Loan from Employees		1,68,700.00
Monthly Income Certificate matured		11,25,000.00
INTEREST EARNED		
From Investment & SB.A/c		
From Special Deposit A/c	62,403	
1.1.94 to 31.3.94	5,115	
1.4.94 to 31.12.94	15,345	
From Central Council	46,624	
TOTAL		<u>1,29,487.00</u>
		<u>16,25,949.28</u>

**OF INDIAN MEDICINE
FUND
FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1995**

PAYMENTS	AMOUNT	AMOUNT
1. Withdrawal		
(a) Loan (Refundable)	2,59,500	
(b) Part time (Non-refundable)	45,000	
		<u>3,04,500.00</u>
2. Investment in Monthly Income Certificate		
Short term deposits		12,50,000.00
3. Closing Balance as on 31.3.95 in Saving Bank Account with		
Bank of India	43,707.00	
State Bank of India	27,742.28	
		<u>71,449.28</u>
TOTAL		<u>16,25,949.28</u>

**CENTRAL COUNCIL OF
GENERAL PROVIDENT
BALANCE SHEET AS**

1993-94	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
9,22,988.00	As per last Balance Sheet	12,65,641.28	
ADDITION DURING THE YEAR			
2,53,826.00	Subscription	1,87,551.00	
1,08,827.28	Interest	1,29,487.00	
12,85,641.28		15,82,679.28	
20,000.00	Less: Final withdrawal	45,000.00	
12,65,641.28			15,37,679.28
<u>12,65,641.28</u>	TOTAL		<u>15,37,679.28</u>

**INDIAN MEDICINE
FUND
ON 31ST MARCH, 1995**

1993-94	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	1. INVESTMENTS		
	(a) Special Deposit Scheme		1,70,500
1,70,500	As per last Balance Sheet		
	(b) National Saving Certificate		75,000
75,000	As per last Balance Sheet		
	(c) Monthly Income Certificate/Short term basis		
	As per last Balance Sheet	8,35,000	
5,35,000	Addition during the year	12,50,000	
4,00,000			
9,35,000		20,85,000	
1,00,000	Less: Redeemed during the year	11,25,000	9,60,000
8,35,000			
93,140	2. LOAN TO EMPLOYEES	1,69,930	
1,67,950	As per last Balance Sheet	2,59,500	
2,61,090	Addition during the year	4,29,430	
91,160		1,68,700	2,60,730
1,69,930	Recovery during the year		
	3. Closing Balance as on 31.3.1995		
	in Saving Bank Account with		
	Bank of India	43,707.00	
	State Bank of India	27,742.28	71,449.28
15,211.28			
15,211.28			
13,65,641.28			
13,65,641.28	TOTAL		<u>15,37,679.28</u>

**CENTRAL COUNCIL
PENSION-CUM-
RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS**

RECEIPTS	AMOUNT
Opening Balance as on 1-4-94 in Saving Bank Account with Bank of India	36,312.70
Contribution during the year	1,05,072.00
Interest earned from Bank on Saving Bank Account & Monthly Income Certificate/ Double Benefit Deposit Scheme	32,303.60
Monthly Income Certificate/Double Benefit Deposit Scheme matured	4,30,000.00
TOTAL	<u>6,03,688.30</u>

**OF INDIAN MEDICINE
GRATUITY FUND
FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1995**

PAYMENTS	AMOUNT	
Investment in Deposit Scheme	5,15,000.00	
Pension to Sh. S.K. Singh	37,689.00	
Bank Charges	<u>10.00</u>	37,699.00
Closing Balance as on 31-3-95 in Saving Bank Account with		
Bank of India	5,290.30	
State Bank of India	<u>45,699.00</u>	50,989.30
TOTAL		<u>6,03,688.30</u>

**CENTRAL COUNCIL
PENSION-CUM-
BALANCE SHEET AS**

1993-94	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
5,53,336.64	As per last Balance Sheet	7,01,312.70	
	ADDITION DURING THE YEAR		
1,22,761.00	Contribution	1,05,072.00	
60,366.06	Interest	32,303.60	
7,36,463.70		8,38,688.30	
35,151.00	Less: Redeemed during the year	37,699.00	8,00,989.30
<u>7,01,312.70</u>			<u>8,00,989.30</u>

**OF INDIAN MEDICINE
GRATUITY FUND
ON 31ST MARCH, 1995.**

1993-94	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	INVESTMENT		
5,35,000.00	As per Last Balance Sheet	6,65,000.00	
2,70,000.00	Less: Redeemed during the year	4,30,000.00	
<u>2,65,000.00</u>		2,35,000.00	
4,00,000.00	Addition during the year	5,15,000.00	7,50,000.00
6,65,000.00			
	Closing Balance as on 31-3-95 in Saving Bank Account with Bank of India	5,290.30	
36,312.70	State Bank of India	45,699.00	50,989.30
<u>7,01,312.70</u>			<u>8,00,989.30</u>